SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त लेखे
(खण्ड -I)
2023-24

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त लेखे

खण्ड-I

2023-24

हिमाचल प्रदेश सरकार

खण्ड-I

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड-I		
▪	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	(iii-v)
▪	वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका	(vii-xi)
1	वित्तीय स्थिति की विवरणी	2-3
2	प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी	4-8
	अनुबंध-क रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश	
3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)	9-12
4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि)	13-17
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी	18-22
6	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी	23-26
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी	27-29
8	सरकार के निवेशों की विवरणी	30
9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी	31
10	सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी	32-34
11	दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी	35
12	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी	36-39
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार	40-41
▪	वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	42-55
खण्ड-II		
भाग-I विस्तृत विवरणियां		
14	लघु शीर्षो-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी	57-83
15	लघु शीर्षो-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी	84-133
16	लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी	134-181
17	उधारों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी	182-193
18	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणी	194-201
19	निवेशों की विस्तृत विवरणी	202-216
20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विस्तृत विवरणी	217-219
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणी	220-228
22	चिन्हित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी	229
खण्ड-II		
भाग-II परिशिष्ट		
(I)	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	231-238
(II)	सहायता पर तुलनात्मक व्यय	239-244
(III)	राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान (स्कीम-वार व संस्थान-वार)	245-268
(IV)	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विस्तृत विवरण	269-271
(V)	योजनाओं पर व्यय	272-277
	(क) केन्द्रीय स्कीम (केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय योजना)	
	(ख) राज्य योजनाएं	

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
खण्ड-II		
भाग-II परिशिष्ट		
(VI)	राज्य की कार्यांवयन एजेंसियों को केन्द्रीय परियोजना निधि का प्रत्यक्ष स्थानान्तरण (राज्य बजट के अलावा निधियां दी गईं)(अलेखापरीक्षित आंकड़े)	278-283
(VII)	अथ शेषों के साथ शेषों का मिलान व अनुमोदन	284
(VIII)	सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	285
(IX)	अपूर्ण निर्माण कार्यों की वचनबद्धता की विवरणी	286-290
(X)	वेतन तथा गैर वेतन भाग के पृथक्कीकरण के साथ रख-रखाव व्यय	291-295
(XI)	वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णय तथा बजट में प्रस्तावित नई स्कीमें	296
(XII)	भविष्य में राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों का विवरण	297

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से/में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड-I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है। खंड-II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमण्डल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगीखातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओ ंके संकलन और तैयारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (8, 9, 19 तथा 20) और परिशिष्ट (IV, VI, VIII, IX, XI तथा XII) सीधे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँः

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 1,744.60 करोड़ की राशि के 1,342 उपयोगिता प्रमाण पत्र जो देय थे, संबंधित निकायों और प्राधिकरणों द्वारा प्रदान सहायता अनुदान के एवज में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा, ₹ 1,050.63 करोड़ की कुल राशि के 1,648 उपयोगिता प्रमाण पत्र जो कि वर्ष 2022-23 तक प्रस्तुत करने हेतु देय थे, 31 मार्च 2024 तक लम्बित थे। ₹ 2,795.23 करोड़ की राशि के 2,990 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2024 तक प्रस्तुत करने हेतु लम्बित थे। यूसी जमा न करने के मददेनजर, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 2,795.23 करोड़ की राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च/उपयोग की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था।

'मामले के महत्व' खंड के कारण वित्त लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।

दिनांकः 14/फरवरी/2025
स्थानः नई दिल्ली

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

क. सरकार के लेखाओं की संरचना का विस्तृत अवलोकन

1. हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों सहित, वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं, लोक ऋण के लेखाओं में दर्ज शेषों में से निकाली गई देनदारियाँ एवं परिसम्पितयों को दर्शाते हैं वित्तीय लेखों के साथ विनियोग लेखे होते हैं जो अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः

भाग-Iः समेकित निधिः इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋण (बाजार ऋण, ऋण पत्र, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की वापसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से भारत के संविधान में निहित विधि एवं उद्देश्य के अतिरिक्त कोई धन आहरित नहीं किया जा सकता। कुछ श्रेणी के व्यय (जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋणों की वापसी इत्यादि), राज्य सरकार की समेकित निधि पर भारित (भारित व्यय) होते हैं एवं विधान मण्डल द्वारा पारित होने के विषय नहीं हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान मण्डल द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग होते हैं - राजस्व एवं पूंजीगत (लोक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)। इन्हें आगे, 'प्राप्ति' एवं 'व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व प्राप्ति भाग, तीन खण्डों में बांटा गया है, 'कर राजस्व''गैर-कर राजस्व' एवं 'सहायतानुदान व अंशदान'। इन तीन खण्डों को आगे उप-खण्डों में बांटा गया है जैसे - वस्तु एवं सेवा कर, आय व व्यय पर कर, 'वित्तीय सेवाएँ' इत्यादि। पूंजीगत प्राप्तियाँ भाग में कोई खण्ड अथवा उप-खण्ड नहीं होते हैं। राजस्व व्यय भाग को चार खण्डों जैसे - 'सामान्य सेवाएँ,' 'सामाजिक सेवाएँ,' 'आर्थिक सेवाएँ' एवं 'सहायतानुदान व अंशदान' में बांटा गया हैं। राजस्व व्यय भाग में इन खण्डों को आगे उप खण्डों जैसे-राज्य के अंग, शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति इत्यादि में विभाजित किया गया है। पूंजीगत व्यय भाग आगे सात उप-खण्डों जैसे 'सामान्य सेवाएँ,' 'सामाजिक सेवाएँ,' 'आर्थिक सेवाएँ' 'लोक ऋण,' 'ऋण एवं अग्रिम,' 'अन्तर्राज्यीय समाधान' तथा 'आकस्मिकता निधि' को हस्तान्तरण में विभाजित है।

भाग-IIः आकस्मिकता निधिः यह निधि अग्रदाय की होती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधि से स्थापित एवं राज्यपाल के नियंत्रण में, विधान मण्डल के अनुमोदन के लम्बित रहते आकस्मिकता व्ययों को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करती है । इस निधि को राज्य सरकार की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट देकर प्रतिपूर्ती किया जाता है। हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2023-24 की आकस्मिकता निधि **₹** 5.00 करोड़ है।

भाग-III लोक लेखाः प्राप्त अन्य सभी लोक धन जो कि सरकार द्वारा अथवा सरकार के पक्ष में प्राप्त होता है, जहां सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी की भूमिका निभाती है, लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचन्त शीर्ष (जो कि दोनों, अंतिम निपटान के लम्बित रहते हस्तान्तरण शीर्ष हैं) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखा में सम्मिलित होता है। लोक लेखा मे छः खण्ड जैसेः 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि,' 'आरक्षित निधियाँ', 'जमा व अग्रिम', 'उचन्त एवं विविध', 'प्रेषण' तथा 'रोकड़ शेष' सम्मिलित हैं। ये खण्ड आगे उप खण्डों में विभाजित हैं। लोक लेखा विधान मण्डल के वोट का विषय नहीं है।

3. सरकारी लेखे छः स्तरीय वर्गीकरण जैसेः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप मुख्य शीर्ष (दो अंक) लघु शीर्ष (तीन अंक) उप शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो से तीन अंक), एवं उद्देश्य शीर्ष (दो/तीन/चार अंक) में प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्य को प्रदर्शित करते हैं, उप मुख्य शीर्ष उप कार्य को प्रदर्शित करते हैं, लघु शीर्ष

कार्यक्रम/क्रिया कलाप को प्रदर्शित करते हैं, उप शीर्ष योजनाओं को प्रदर्शित करते है, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं को प्रदर्शित करते हैं, एवं उद्देश्य शीर्ष व्यय के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हैं।

4. लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित वर्गीकरण संरचना निहित है (मुख्य शीर्ष एवं लघु शीर्ष की 31 मार्च 2024 तक अद्यतित सूची अनुसार)

0005 से 1606	**राजस्व प्राप्तियॉ**
2011 से 3606	**राजस्व व्यय**
4000	**पूंजीगत प्राप्तियॉ**
4046 से 7810	**पूंजीगत व्यय (लोक ऋण,ऋण और अग्रिम सहित)**
7999	**आकस्मिक निधि को विनियोजन**
8000	**आकस्मिक निधि**
8001 से 8999	**लोक लेखा**

5. लेखाओं की संरचना का चित्रमय स्वरूप निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः

सरकार के लेखाओं की संरचना

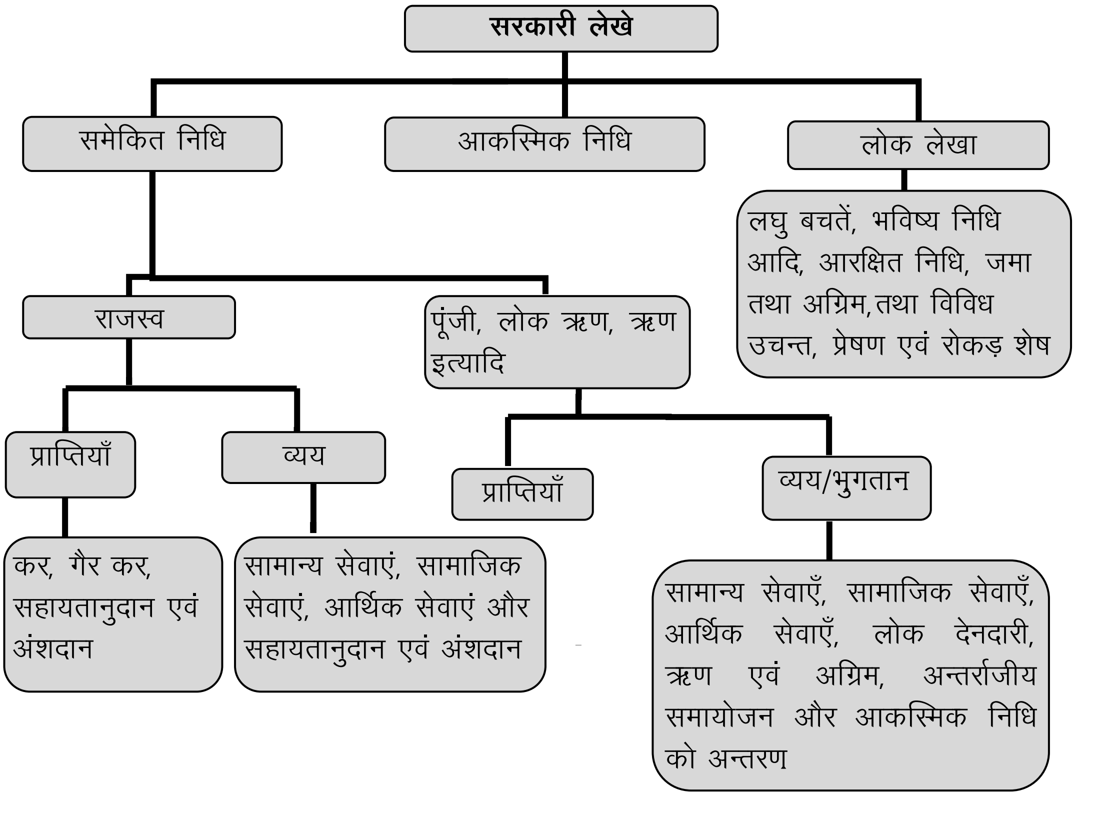

ख. वित्तीय लेखाओं की विषय वस्तु

वित्तीय लेखाओं को दो खण्डों में दर्शाया जाता है

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखाओं की प्रदर्शिका, चालू वर्ष हेतू राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन देनों पर संक्षिप्त सूचना दर्शाती 13 विवरणियां, तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का एक अनुबंध सम्मिलित हैं । खण्ड-I में 13 विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

1. **वित्तीय स्थिति की विवरणी:** यह विवरणी वर्ष के अन्त तक की राज्य सरकार की संचायत्मक परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के आकड़ों को दर्शाती है तथा इन आकड़ों का पिछले वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति से तुलनात्मक रूप में दर्शाती है।

2. **प्राप्तियों और संवितरणों की विवरणी:** यह विवरणी सरकारी लेखाओं के सभी तीनों भागोंः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखे जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है, के अन्तर्गत राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेषों (निवेशों सहित) के वैकल्पिक चित्रण को दर्शाता अनुबंध भी शामिल है। यह अनुबंध सरकार के अर्थोपाय अग्रिमों की स्थिति को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करता है।

3. **प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि):** यह विवरणी राज्य सरकार के राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, दायित्वों एवं दिए गये ऋण की वापसी को दर्शाती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14,17 व 18 की समरूप है।

4. **व्यय की विवरणी (समेकित निधि):** लघु शीर्ष स्तर तक वित्तीय लेखाओं के सामान्य प्रदर्शन से हटकर यह विवरणी व्यय कार्य-प्रकृति (व्यय के उद्देश्य) के अनुरूप भी व्यय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड-II में दी गई विस्तृत विवरणी 15, 16, 17,व 18 की समरूप है।

5. **प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी:** यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी 16 की समरूप है।

6. **ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी:** सरकार की उधारियों में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। 'अन्य देनदारियों' मे, 'लघु बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि', आरक्षित निधियाँ एवं जमा समाहित हैं। इस विवरणी में ऋण के उपयोग पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह भाग-II में विस्तृत विवरणी 17 की समरूप है।

7. **सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्जदारों जैसे साविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा आदाता व्यक्तियों (सरकारी कर्मचारियों सहित) को प्रदत सभी ऋण एवं अग्रिमों को दर्शाती है। यह विवरणी भाग-II की विस्तृत विवरणी 18 की समरूप है।

8. **सरकार के निवेशों की विवरणी:** यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टाक कम्पनियों,सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के इक्विटी पूंजी में निवेशों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 19 के समरूप है।

9. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी:** यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी हेतू राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के सार को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी-20 के समरूप है।

10. **सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी:** यह विवरणी सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ग्राहियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत एवं अन्य संस्थानों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को प्रदत सभी सहायतानुदान को दर्शाती है। परिशिष्ट-III में प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण समाहित है।

11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी:** यह विवरणी वित्त लेखों में दर्ज निवल आंकड़ों एवं विनियोग लेखों में दर्ज सकल आंकड़ों के मेल में सहायक है।

12. **राजस्व व्यय के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी:** यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय को प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए, जबकि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरूआत में नगद शेष एवं उधारों से पूरा किया जाना चाहिए।

13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सारः यह विवरणी लेखाओं की सटीकता सिद्ध करने में सहायक है। यह विवरणी खण्ड-II की विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 व 21 के समरूप है।

वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रदान करते हैं,जिनका उद्देश्य लेनदेन, लेनदेन की श्रेणी, शेष राशि आदि से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त खातों के हितधारकों /उपयोग कर्ताओं के लिए सहायक होगा।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखा मानकों (आई.जी.ए.एस.) की आवश्यकताओं, खातों के स्वरूप, पूंजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित वित्त लेखाओं पर टिप्पणियों के भाग के रूप में खण्ड-I में वित्त लेखे में शामिल किया गया है।

वित्त लेखें के खण्ड-II के दो भाग हैः- भाग-I में 9 विस्तृत विवरणियां तथा भाग-II में XII परिशिष्ट हैं।

खण्ड-II का भाग-I

14. लघु शीर्ष-वार राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, वित्त लेखे के खण्ड-I में सार विवरणी 3 की समरूपी है लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्ति के विवरण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, यह विवरणी केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उप शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाती है।

15. लघु शीर्ष-वार राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी जो कि खण्ड-I में सार विवरणी 4 की समरूपी है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

16. लघु शीर्ष व उप शीर्ष वार पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 5 की समरूपी है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान एवं संचयात्मक) को दर्शाती है। भारित तथा दत्तमत व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं में पूंजीगत व्यय का विवरण लघु शीर्ष स्तर तक दिखाए जाने के अतिरिक्त, यह विवरणी उपशीर्ष स्तर तक विवरण भी दर्शाती है।

17. ऋणों तथा अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, जो कि खण्ड-I के सार विवरणी 6 की समरूपी है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉड, केन्द्रीय सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचतें निधि इत्यादि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत अर्थोपाय अग्रिमों को दर्शाती हैं। यह विवरणी ऋणों पर तीन श्रेणियों- (क) व्यक्तिगत ऋणों का ब्यौरा (ख) परिपक्वता रूप-रेखा अर्थात प्रत्येक श्रेणी के ऋणों की विभिन्न वर्षो में देय राशि एवं (ग) बकाया ऋण पर ब्याज दर की रूप रेखा एवं अनुबंध में बाजार ऋण की सूचना प्रस्तुत करती है।

18. सरकार द्वार दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, इसी खण्ड-I के भाग-I सार विवरणी 7 की समरूपी है।

19. राज्य सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी, वस्तु स्थिति-वार निवेशों तथा विवरणी 16 व 19 के बीच अंतर यदि कोई हो, के मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष वार विवरणों को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I की विवरणी 8 के समरूप है।

20. सरकार द्वारा प्रदत प्रतिभुतियों का विस्तृत विवरणः यह विवरणी, सरकारी प्रतिभुतियों के वस्तु स्थिति-वार विवरण को दर्शाती है। यह विवरणी खण्ड-I के विवरणी 9 के समरूप है।

21. आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा लेन देनों की विस्तृत विवरणीः यह विवरणी आकस्मिकता निधि में असमायोजित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अन्त में लम्बित शेषों का लघु शीर्ष वार विवरण दर्शाती है।

22. चिन्हित शेषों के निवेशों पर विस्तृत विवरणीः यह विवरणी आरक्षित निधियों एवं जमा (लोक लेखा) से निवेशों का विवरण दर्शाती है।

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में विभिन्न मदों, वेतन, उपदान, सहायतानुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ, इत्यादि पर **बारह परिशिष्ट सम्मिलित** हैं। ये विवरण लेखाओं में उप शीर्ष अथवा उसके निचले स्तर (लघु शीर्ष के नीचे) उपलब्ध है इसलिए सामान्यतः वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाए जाते हैं। परिशिष्टों की विस्तृत सूची खण्ड-I तथा II की विषय सूची में उपलब्ध है। परिशिष्टों के साथ विवरणियों तथा वित्त लेखाओं पर टिप्पणी का पठन, सरकार की वर्ष के दौरान वित्तीय स्थिति के साथ आय व व्यय पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।

ग. शीघ्र गणकः

निम्न भाग, खण्ड-I में दर्ज सार विवरणियों को खण्ड-II में दर्ज विस्तृत विवरणियों एवं परिशिष्टों से जोडता है (परिशिष्ट जो सार विवरणियों से सीधे संबधित नहीं है नीचे नहीं दर्शाए गए है)।

परिमाप	(खंड-I)	(खंड-II)	
	सारांश तालिकाएं	विस्तृत तालिकाए	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियॉ (प्राप्त अनुदान सहित), पूंजीगत प्राप्तियां	2, 3	14	
राजस्व व्यय	2, 4	15	I (वेतन) II (उपदान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान	2,10	---	III (सहायता अनुदान)
पूंजीगत व्यय	1, 2, 4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	1, 2, 7	18	
ऋण स्थिति/ऋण	1, 2, 6	17	
कंपनी, निगमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश	8	19	
नकदी	1, 2,12,13	21	
लोक लेखा में शेष तथा सम्बन्धित निवेश	1, 2,12,13	21, 22	
प्रत्याभूतियां	9	20	
योजनाएं			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं)

सारांशित विवरणियां

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

पूंजियाँ [1]	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक *
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय पारगमन		21	...	...
(ii) विभागीय शेष		21	0.16	0.16
(iii) स्थाई रोकड़ अग्रदाय		21	0.03	0.03
(iv) नगद शेष निवेश		21	1,457.81	3,645.18
(v) भारतीय रिजर्ब बैंक के पास जमा	5(x)	21	42.44	(-)89.33
(vi) चिन्हित शेषों से निवेश [2]		…	...	…
पूंजीगत व्यय				
(i) कम्पनी, कॉर्पोरेशन इत्यादि के शेयरों में निवेश		16 { 8,19	5,524.23	5,333.57
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय		16 { …	61,593.94	56,154.81
आकस्मिक निधि (अनापूर्ति)	4	…	…	…
ऋण तथा अग्रिम		7,18	8,132.18	8,052.61
विभागीय अधिकारियों को अग्रिम		…	…	…
उचन्त तथा विविध शेष [3]		…	…	…
प्रेषण		…	…	…
प्राप्तियों से ऊपर व्यय का समन्वयी आधिक्य [4]		12	19,772.18**	14,215.79
खातें को पूर्णांकित करने पर			...	0.02
जोड़			**96,522.97**	**87,312.84**

[1]परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी आंकड़े है। कृपया 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणी' अनुभाग में टिप्पणी 1(v) भी देखें।

[2]कम्पनियों आदि के शेयरों में चिन्हित निधियों में से किए गए निवेशों को पूंजीगत व्यय के अधीन निकाल दिया गया है तथा 'चिन्हित निधियों में से निवेश के अधीन सम्मिलित कर दिया गया है।

[3]इस तालिका में पंक्ति-मद 'उचन्त तथा विविध शेष' में 'नगदी शेष निवेश लेखा', 'विभागीय शेष' तथा 'स्थायी नगदी अग्रदाय' सम्मिलित नहीं हैं इन्हें ऊपर अलग से शामिल किया गया है, हांलाकि इन लेखाओं में इनको अन्यत्र इस सैक्टर के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है।

[4]प्राप्तियों से ऊपर व्यय का संचयी आधिक्य, चालू वर्ष के राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है अर्थात राजकोषीय/राजस्व घाटा नहीं हैं।

**संचित पूंजीगत प्राप्तियों के कारण विवरणी सख्या-12 पृष्ठ संख्या 40 में देखे ₹ 70.36 करोड़ की राशि की भिन्नता हैं।

टिप्पणीः इस विवरण में सारांश और विस्तृत विवरण और वित्त लेखा खंड-I में अन्य सभी सारांश विवरण क बीच का अंतर ₹ करोड़/लाख में पूर्णांकित होने के कारण हैं।

1: वित्तीय स्थिति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

दायित्व	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक *
	वित्त लेखाओं पर टिप्पणी	विवरण		
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		6,17	61,439.29	55,975.16
(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम			**8,929.83**	**7,388.32**
आयोजनेतर ऋण		6,17	1.09	1.51
राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण		6,17	2,958.77	3,061.65
अन्य ऋण		6,17	5,969.97	4,325.16
आकस्मिकता निधि (कॉरप्स)		21	5.00	5.00
लोक लेखा पर दायित्व				
(i) लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि		21	19,337.58	17,682.25
(ii) आरक्षित निधियां		21	2,279.77	1,934.72
(iii) जमा व अग्रिम		21	3,645.97	3,608.49
(iv) प्रेषण शेष	5(iv)	21	620.25	493.96
(v) उचन्त तथा विविध शेष **	5(iv)	21	265.28	224.94
व्यय से ऊपर प्राप्ति का समन्वयी आधिक्य		12	...	...
खातें को पूर्णांकित करने पर			…	…
जोड़			**96,522.97**	**87,312.84**

* पूर्ण आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त खातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹ 0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

** पृष्ठ संख्या 2 (खण्ड-I), पर पाद टिप्पणी 3 देखे

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2023-2024	2022-23**		2023-2024	2022-23**
भाग-I समेकित निधि					
शाखा कः राजस्व					
राजस्व प्राप्तियां (क) *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**39,173.05**	**38,089.50**	**राजस्व संवितरण (क)** *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	**44,731.63**	**44,425.26**
कर राजस्व (राज्य द्वारा) *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**11,835.29**	**10,595.26**	वेतन[1] *(विवरणी संख्या 4-ख व परिशिष्ट -I देखें।)*	15,046.97	15,569.01
कर-भिन्न राजस्व *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**3,020.89***	**2,876.33**	सहायता अनुदान[2] *(विवरणी संख्या 4-ख,10 व परिशिष्ट -III देखें।)*	5,092.21	5,840.85
ब्याज प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	126.06	85.30	सहायता *(परिशिष्ट -II देखें।)*	1,768.35	1,973.32
अन्य *(विवरणी संख्या 3- देखें।)*	2,894.83	2,791.03	**सामान्य सेवाएं**	**16,435.51**	**15,023.00**
संघीय शुल्क/कर के अंश *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**9,374.72**	**7,883.98**	पैंशन *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	10,055.85	9,283.87
			ब्याज अदायगियां और ऋण सेवायें *(विवरणी संख्या 4-क 4-ख व 15 देखें।)*	5,648.37	4,828.64
केन्द्र सरकार से अनुदान *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**14,942.15**	**16,733.93**	'अन्य *(विवरणी संख्या 4-क देखें।)*	731.29	910.49
			सामाजिक सेवाएं	**5,043.98**	**4,655.91**
			आर्थिक सेवाएं	**1,344.61**	**1,357.08**
			स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन *(विवरणी संख्या 4-क व 15 देखें।)*	**...**	**6.09**
राजस्व घाटा	**5,558.59**	**6,335.76**	**राजस्व आधिक्य**	**...**	**...**
शाखा ख- पूंजीगत					
पूंजीगत प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 व 14 देखें।)*	**2.20**	**12.59**	**पूंजीगत व्यय** *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	**5,629.79**	**6,028.88**
			सामान्य सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	356.71	297.38
			सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	1,743.61	1,962.03
			आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4-क व 16 देखें।)*	3,529.47	3,769.47
ऋणों एवं अग्रिमों आदि की वसूली *(विवरणी संख्या 3,7 व 18 देखें।)*	**27.40**	**82.79**	**ऋणों और अग्रिमों के भुगतान** *(विवरणी संख्या 4-क व 18 देखें।)*	**106.95**	**110.58**
सामान्य सेवायें *(विवरणी संख्या 7 व 18 देखें।)*	...	...	सामान्य सेवायें *(विवरणी संख्या 4,7 व 18 देखें।)*	...	...
सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 7 व 18 देखें।)*	0.12	0.12	सामाजिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4क, 7 18 देखें।)*	...	...
आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 7 व 18 देखें।)*	21.52	76.51	आर्थिक सेवाएं *(विवरणी संख्या 4क, 7 व 18देखें।)*	98.35	103.82
अन्य *(विवरणी संख्या 7 व 18 देखें।)*	5.76	6.16	अन्य *(विवरणी संख्या 4 व 18 देखें।)*	8.60	6.76

[1] सभी खण्डों के वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान के आंकडे. जोड. कर समेकित राशि दर्शाते है। इस विवरणी में खण्ड 'सामाजिक', सामान्य तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन, सहायता एवं सहायता अनुदान (पाद टिप्पणी 2) राजस्व व्यय तथा वेतन, पूंजीगत परिव्यय शामिल नहीं है किसी समय वेतन पूंजीगत परिव्यय में दर्शाए जाते है। आंकडे. केवल उद्धेश्य 'वेतन' के अन्तर्गत वर्गीकृत व्यय को दर्शाते है। (आर.ओ.पी.रहित)

[2] सांवधिक निगम, कम्पनियां, स्वायतः संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जाता है जिसे उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है । यह अनुदान स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कर समानुदेशित निवल आय से भिन्न हैं जिसे अलग से स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन के अन्तर्गत दर्शाया जाता है।

(क) पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरण 3,4 क और 4 ख के आंकड़ों से अन्तर है।

* इनमें ₹0.24 करोड़ बुक समायोजन की राशि सम्मिलित है, पृष्ठ संख्या 63 (खण्डII) पर पाद टिप्पणी देखें।

2. प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	2023-2024	2022-2023	संवितरण	2023-2024	2022-23**
शाखा ख- पूंजीगत					
लोक ऋण प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें।)*	**14,901.51**	**22,371.82**	**लोक ऋण संवितरण** *(विवरणी संख्या 4-क 6 व 17 देखें।)*	**7,895.87**	**10,135.79**
आंतरिक ऋण (बाजार ऋण; एन. एस. एस. एफ. इत्यादि) *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें।)*	13,252.36	21,631.99	आंतरिक ऋण #(बाजार ऋण, एन. एस. एस. एफ. इत्यादि) *(विवरणी संख्या 4-क, 6 व 17 देखें।)*	7,788.24	10,032.86
केन्द्र सरकार से ऋण *(विवरणी संख्या 3,6 व 17 देखें।)*	1,649.15	739.83	केन्द्र सरकार से ऋण *(विवरणी संख्या 4-क, 6व 17 देखें।)*	107.63	102.93
अन्तर्राज्यीय समाधान निवल)	...	...	**अन्तर्राज्यीय समाधान (निवल)**	...	...
जोड़ समेकित निधि प्राप्तियां *(विवरणी संख्या 3 देखें।)*	**54,104.16**	**60,556.70**	**जोड़ समेकित निधि संवितरण** *(विवरणी संख्या 4-क देखें।)*	**58,364.24***	**60,700.51**
समेकित निधि में घाटा	**4,260.08**	**143.81**	**समेकित निधि में आधिक्य**	...	...
भाग-II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि	...	...	**आकस्मिकता निधि**	...	...
भाग-III लोक लेखा					
लघु बचतें *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**4,794.75**	**3,633.27**	**लघु बचतें** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**3,139.42**	**2,957.31**
आरक्षित ऋण परिशोध कोष *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**1,645.78**	**741.45**	**आरक्षित ऋण परिशोध कोष** *(विवरणी संख्या 21देखें।)*	**1,300.73**	**780.63**
जमा (विवरणी संख्या 21 देखें।)	**4,071.13**	**5,946.22**	**जमा**(विवरणी संख्या 21 देखें।)	**4,033.64**	**5,764.39**
अग्रिम *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	...	...	**अग्रिम** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	...	...
उचन्त तथा विविध *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**44,949.83**	**40,864.02**	**उचन्त तथा विविध**[3] *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**42,722.13**	**41,423.19**
प्रेषण *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**9,076.55**	**8,178.73**	**प्रेषण** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**8,950.26**	**8,338.28**
जोड़ प्राप्तियां लोक लेखा *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**64,538.04**	**59,363.69**	**जोड़ संवितरण लोक लेखा** *(विवरणी संख्या 21 देखें।)*	**60,146.18**	**59,263.80**
लोक लेखा में घाटा	...	...	**लोक लेखा में आधिक्य**	**4,391.86**	**99.89**
आदि रोकड़ शेष	**(-)89.33**	**(-)45.41**	**अन्त रोकड़ शेष**	**42.44**	**(-)89.33**
रोकड़ शेष में वृद्धि	**131.78**	...	**रोकड़ शेष में कमी**	...	**43.92**

[3] अन्य लेखे जैसे कि नगद शेष लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादी उचन्त तथा विविध में सम्मिलित है। इन अन्य लेखे की वजह से आंकड़े अत्यधिक प्रतीत हो सकते है। कृपया विवरण विवरणी संख्या 21 में देखें

इनमें केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि का ₹ 5,69.10 करोड़ शामिल है । (पृष्ठ संख्या 23 (खण्ड-I) और पृष्ठ संख्या 182 (खण्ड-II))

* पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरण 3,4 क और 4 ख के आंकड़ों से अन्तर है।

** पूर्ण आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त स्रोतों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

अनुबंध-क

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

		1 अप्रैल 2023 को	31 मार्च 2024 को	
		1	2	
			(₹ करोड़ में)	
(क)	**सामान्य रोकड़ शेष-**			
(1)	कोषागारों में रोकड़	...	...	
(2)	पारगमन में प्रेषण-स्थानीय	...	...	
(3)	रिजर्व बैंक के पास जमा राशियां *	(-)89.33	42.44	(क)
	जोड़	**(-)89.33**	**42.44**	
(4)	'नगद शेष निवेश लेखा'' में रखे गए निवेश-	3,645.18	1,457.81	
	जोड़ (क)	**3,555.85**	**1,500.25**	
(ख)	**अन्य रोकड शेष और निवेश-**			
(1)	विभागीय अधिकारियों अर्थात लोक निर्माण कार्यों इत्यादि के पास रोकड़	0.16	0.16	
(2)	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
	जोड़(ख)	**0.19**	**0.19**	
	जोड़ (क) और (ख)	**3,556.04**	**1,500.44**	

*शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के अधीन जो शेष पड़ा है वह 10 अप्रैल 2024 तक भारतीय रिजर्व बैंक को संज्ञापित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेने देन से सम्बद्ध अंतर सरकारी मौद्रिक समाधानों को लिए जाने के पश्चात आया है ।

(क) लेखे में दर्शाए {₹ 9.06 करोड़ (नामे)} तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों {₹ 42.44 करोड़ (नामे)} में ₹ 33.38 करोड़ (जमा) का अन्तर था।

अनुबंध-क

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

(क) नगदी तथा नगदी तुल्यमानः- नगदी तथा नगदी तुल्यमानों के अन्तर्गत कोषागारों में पड़ी नगदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के पास पड़ी जमा राशि तथा पारगमन प्रेषण, जैसा कि नीचे उल्लेखित है, समाहित होते हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक के पास पड़ी जमा राशि' उपरोक्त में पड़ा शेष वर्ष की समाप्ति पर समेंकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संयुक्त शेषों को इंगित करता है। समग्र नगदी स्थिती का पता लगाने के लिए कोषागारों, विभागों के रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों आदि में से किए गए निवेशों को 'भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि' के शेष में जोड़ा गया हैं।

(ख) दैनिक नगदी शेषः- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए एक अनुबन्ध के अधीन राज्य सरकार को बैंक के पास ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना पड़ता है। यदि किसी दिन भी यह शेष अनुबंधित न्यूनतम शेष से कम हो जाए तो इस कमी को साधारण तथा विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिमों/ओवरड्राफ्ट प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए दैनिक नगदी शेष* निकाले जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिवस हेतु रिपोर्ट किए गए लेन-देनों सहित (भारतीय रिजर्व बैंक पटलों, एजैंसी बैंकों द्वारा सूचित अर्न्तसरकारी लेनदेनों तथा कोष लेनदेनों पर) 14-दिवसीय खजाना बिलों की अतिधारिता का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार निकाले गए नगदी शेष में 14-दिवसीय खजाना बिलों, यदि कोई हो, की पूर्णता राशि जमा की जाती है तथा न्यूनतम नगदी शेष रखने के पश्चात अधिक राशि यदि कोई हो, का खजाना बिलों में पुनर्निवेश किया जाता है। यदि निकाला गया शुद्ध नगदी शेष, न्यूनतम नगदी शेष या क्रेडिट शेष से कम आता है तथा यदि उस दिवस को कोई भी 14-दिवसीय खजाना बिलों की पूर्णता नहीं हो रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक खजाना बिल को 14 दिनों की अवधि की पुनः छुट देता है ताकि कमी पूरी हो सके। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना बिलों की कोई अतिधारिता नहीं है तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिमों/विशेष आहरण सुविधा/ओवरड्राफ्ट के लिए आवेदन करती है।

(ग) अर्थोपाय अग्रिमः- राज्य सरकार को दिए जाने वाले साधारण अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा 01.04.2022 ₹ 656.00 करोड़ थी सरकारी प्रतिभूतियों की प्रज्ञाप्ति के अधीन विशेष आहरण सुविधा को प्रदान किए जाने की सहमति बैंक द्वारा भी दी गई है। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष आहरण सुविधा में संशोधन किया जाता है।

* उपरोक्त रोकड़ शेष (भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा) वर्ष के 31 मार्च 2024 का, परन्तु (10 अप्रैल 2024) को निकाला गया, अन्त नगदी शेष है तथा साधारणतः 31 मार्च 2024 का दैनिक शेष नहीं है।

अनुबंध-क

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश

व्याख्यात्मक टिप्पणी

वर्ष 2022-23 के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार ने जो न्यूनतम नगद शेष रखा था, उसका वर्णन इस प्रकार है:-

(i)	कोई भी अग्रिम लिए बिना जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया था	324
(ii)	साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष रखा गया	36
(iii)	विशेष आहरण सुविधा लेकर जितने दिनों के लिए न्यूनतम शेष बरकरार रखा गया	...
(iv)	उपरोक्त अग्रिमों को लिए जाने के उपरान्त भी, लेकिन कोई ओवरड्राफ्ट लिए बिना, जितने दिनों न्यूनतम शेष में कमी रही	...
(v)	जितने दिनों ओवरड्राफ्ट लिया गया	05

रोकड़ शेष की कमी को पूर्ण करने के लिए 14 दिन के खजाना बिलों को 110 अवसरों पर ₹ 41,361.31 करोड़ का निवेश किया गया तथा वर्ष 2023-24 के दौरान 199 अवसरों पर ₹ 43,548.68 करोड़ रिडिस्काऊंट किये।

रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखे गए निवेशों का विश्लेषण निम्नवत् है:-

	1 अप्रैल 2023 को आदि शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान खरीद	वर्ष 2023-24के दौरान बिक्री	31मार्च 2024 को अतंशेष	वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज वसूली
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
					(₹ करोड़ में)
भारत सरकार के खजाना बिल	3,645.18	41,361.31	43,548.68	1,457.81	21.43
जोड़	**3,645.18**	**41,361.31**	**43,548.68**	**1,457.81**	**21.43**

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2023-24	2022-23#
क	**कर राजस्व**		
क 1	**अपना कर राजस्व**	**11,835.30**	**10,595.26**
	राज्य माल एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	5,339.89	5,259.21
	राज्य आबकारी	2,692.33	2,216.34
	बिक्री कर (बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर)	1,753.73	1,370.29
	वाहनों पर कर	781.74	675.17
	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	440.37	398.75
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	380.26	346.53
	विद्युत पर कर और शुल्क	369.07	252.25
	माल एवं यात्री कर	70.88	68.50
	भू-राजस्व	7.03	8.22
क 2	**कर निवल आगमों का अंश**	**9,374.72**	**7,883.98**
	निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	3,249.67	2,579.80
	केन्द्रीय माल एंव सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	2,845.13	2,227.15
	निगम कर	2,813.87	2,644.66
	सीमा शुल्क	328.53	309.82
	संघीय उत्पाद शुल्क	124.32	97.22
	पदार्थों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	11.47	12.97
	सेवा कर	1.73	12.36
	जोड़- क कर राजस्व	**21,210.02**	**18,479.24**
ख	**कर-भिन्न राजस्व**		
	विद्युत	1,667.35	1,428.28
	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	331.73	286.34
	लाभांश एवं लाभ	191.17	180.90
	पैंशन और अन्य सेवा निवृति लाभों से सम्बन्धित अंशदान और वसूलियां	177.23	31.30
	ब्याज प्राप्तियां	126.06	85.30
	वानिकी एवं वन्य प्राणी	89.95	81.79
	पुलिस	65.53	73.71
	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	59.80	161.78
	लोक निर्माण कार्य	53.86	70.07
	जल आपूर्ति और स्वच्छता	51.99	64.60
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	40.50	90.05
	फसल कृषि-कर्म	24.99	12.35
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	24.47	26.47
	उद्योग	20.22	16.57
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	20.05	20.03
	श्रम और रोजगार	11.66	9.88
	सड़कें एवं पुल	10.02	169.73
	लेखन सामग्री और मुद्रण	8.88	7.40
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.06	6.37
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5.53	7.53
	शहरी विकास	5.23	2.52
	लोक सेवा आयोग	4.94	9.21
	आवास	4.34	4.03
	सहकारिता	3.38	6.08

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

I - कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2023-24	2022-23#
ख	**कर-भिन्न राजस्व**		
	पर्यटन	3.37	2.65
	मत्स्य पालन	3.13	3.08
	ग्रामीण और लघु उद्योग	1.67	5.61
	विविध सामान्य सेवाएं	2.62	7.45
	लघु सिंचाई	0.77	1.04
	सूचना और प्रचार	0.73	0.73
	पशुपालन	0.46	1.52
	सिविल पूर्ति	0.39	0.99
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.27	0.04
	जेल	0.16	0.26
	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार	0.10	0.18
	अन्य कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम	0.07	0.12
	सड़क परिवहन	0.05	0.07
	अन्य विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	0.05	0.12
	आपूर्ति और निपटान	0.04	0.02
	मध्यम सिंचाई	0.02	0.05
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.02	0.09
	पौधारोपण	0.01	0.01
	परिवार कल्याण	0.01	0.02
	जोड़ -ख कर-भिन्न राजस्व	**3,020.88**	**2,876.34**

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

II -भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2023-24	2022-23#
ग	सहायता अनुदान एवं अशंदान		
	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान		
ग-1	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	5,328.69*	4,736.66
ग-2	वित्त आयोग अनुदान	8,738.16	10,489.70
ग-3	राज्य/विधायिका वाले केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान/अन्य अन्तरण	875.30	1,507.57
	जोड़ -ग सहायता अनुदान एवं अंशदान	14,942.15	16,733.93
	जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख+ग)	39,173.05	38,089.51

* इनमें ₹ 1,198.65 करोड़ वर्ष 2023-24 में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना की राशि सम्मिलित है। पृष्ठ संख्या 74 (खण्ड-II) में पाद टिप्पणी देखे।

3. प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)

III -पूंजीगत, लोक ऋण व अन्य प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वास्तविक	
		2023-24	2022-23#
घ	**पूंजीगत प्राप्तियां**		
	अन्य	2.20	12.59
	विनिवेश प्राप्तियाँ	...	...
	जोड़ घ पूंजीगत प्राप्तियां	**2.20**	**12.59**
ड.	**लोक ऋण प्राप्तियां**		
	आन्तरिक ऋण	**13,252.36**	**21,631.99**
	बाजार ऋण	8,072.00	14,000.00
	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	4,380.37	6,786.84
	वित्तीय संस्थानों से ऋण	799.99	845.15
	मुआवजा और अन्य बांड	...	...
	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	...	...
	अन्य ऋण	...	...
	केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	**1,649.15**	**739.83**
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें	...	...
	राज्यों/विधान मण्डल संघ राज्य क्षेत्र वाले की स्कीमों के लिए अन्य ऋण	1,649.15	739.83
	जोड़ ड.-लोक ऋण	**14,901.51**	**22,371.82**
च	**राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण (वसूलियां)***		
	सामाजिक सेवाएं	**0.12**	**0.12**
	आर्थिक सेवाएं	**21.52**	**76.51**
	अन्य	**5.76**	**6.16**
छ	**अन्तर्राज्यीय समाधान**	**...**	**...**
समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)		**54,104.16**	**60,556.71**

*विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 18 खण्ड-II देखें ।

पूर्ण आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त स्तातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
क	**सामान्य सेवाएं**				
क.1	**राज्य के अंग**	**424.73**	**...**	**...**	**424.73**
	संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल	45.88	...	...	45.88
	राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासक	8.95	...	...	8.95
	मन्त्री परिषद	16.81	...	...	16.81
	न्याय प्रशासन	299.70	...	...	299.70
	निर्वाचन	53.39	...	...	53.39
क.2	**राजकोषीय सेवाएं**	**373.85**	**...**	**...**	**373.85**
	भू-राजस्व	225.21	...	...	225.21
	स्टाम्प और पंजीकरण	9.60	...	...	9.60
	राज्य उत्पाद शुल्क	8.35	...	...	8.35
	वस्तुओं और सेवाओं पर करों का संग्रहण	36.56	...	...	36.56
	वाहनों पर कर	21.90	...	...	21.90
	राज्यों के माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	4.61	...	...	4.61
	पदार्थो और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	66.45	...	...	66.45
	अन्य राजकोषीय सेवाएं	1.17	...	...	1.17
क.3	**ब्याज भुगतान**	**5,648.37**	**...**	**...**	**5,648.37**
	ब्याज अदायगियां	5,648.37	...	...	5,648.37
क.4	**प्रशासनिक सेवाऐं**	**2,620.02**	**356.71**	**...**	**2,976.73**
	लोक सेवा आयोग	17.42	...	...	17.42
	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	99.20	...	...	99.20
	जिला प्रशासन	224.77	...	...	224.77
	कोषागार और लेखा प्रशासन	81.29	...	...	81.29
	पुलिस	1,515.27	76.41		1,591.68
	जेल	48.03	...	...	48.03
	आपूर्ति और निपटान	1.19	...	...	1.19
	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	28.58	...	...	28.58
	लोक निर्माण कार्य	378.28	269.77	...	648.05
	सतर्कता	42.96	...	...	42.96
	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	183.03	10.53	...	193.56
क. 5	**पैंशन एवं विविध सामान्य सेवाएं**	**10,079.46**	**...**	**...**	**10,079.46**
	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	10,055.85	...	...	10,055.85
	विविध सामान्य सेवाएं	23.61	...	...	23.61
	जोड़ क- सामान्य सेवाएं	**19,146.43**	**356.71**	**...**	**19,503.14**
ख	**सामाजिक सेवाएं-**				
ख.1	**शिक्षा, क्रीड़ा, कला अैर संस्कृति**	**8,099.98**	**300.30**	**...**	**8,400.28**
	सामान्य शिक्षा	7,949.26	300.30	...	8,249.56
	तकनीकी शिक्षा	98.98	...	...	98.98
	क्रीड़ा और युवा सेवाएं	18.10	...	...	18.10
	कला और संस्कृति	33.64	...	...	33.64
ख.2	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**	**2,905.72**	**295.67**	**...**	**3,201.39**
	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2,428.82	295.67	...	2,724.49
	परिवार कल्याण	476.90	...	...	476.90

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ख	**सामाजिक सेवाएं -समाप्त**				
ख.3	**जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास**	**2,438.86**	**1,109.03**	**...**	**3,547.89**
	जलापूर्ति और स्वच्छता	1,303.64	1,022.97	...	2,326.61
	आवास	171.18	24.82	...	196.00
	शहरी विकास	964.04	61.24	...	1,025.28
ख.4	**सूचना तथा प्रसारण**	**51.46**	**0.47**	**...**	**51.93**
	सूचना तथा प्रचार	51.46	0.47	...	51.93
ख.5	**अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण**	**53.17**	**1.27**	**...**	**54.44**
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	53.17	1.27	...	54.44
ख.6	**श्रम और श्रम कल्याण**	**336.62**	**...**	**...**	**336.62**
	श्रम रोजगार और कौशल विकास	336.62	...	...	336.62
ख.7	**सामाजिक कल्याण और पोषण**	**3,407.58**	**35.96**	**...**	**3,443.54**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2,063.58	35.96	...	2,099.54
	पोषण	60.50	...	...	60.50
	प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	1,283.50	...	...	1,283.50
ख.8	**अन्य**	**29.52**	**0.91**	**...**	**30.43**
	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.43	0.91	...	1.34
	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	29.09	...	...	29.09
	जोड़ ख-सामाजिक सेवाएं	**17,322.91**	**1,743.61**	**...**	**19,066.52**
ग.	**आर्थिक सेवाएं**				
ग.1	**कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप**	**2,545.29**	**7.58**	**...**	**2,552.87**
	फसल कृषि-कर्म	680.83	(-)10.90	...	669.93
	मृदा तथा जल संरक्षण	61.67	0.57	...	62.24
	पशुपालन	459.30	7.73	...	467.03
	डेयरी विकास	108.65	...	...	108.65
	मत्स्य पालन	23.08	3.77	...	26.85
	वानिकी और वन्य प्राणी	653.05	6.07	...	659.12
	पौधारोपण	1.14	...	...	1.14
	खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	231.82	0.07	...	231.89
	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	278.29	...	...	278.29
	सहकारिता	47.46	0.27	...	47.73
ग.2	**ग्रामीण विकास**	**1,282.55**	**24.56**	**...**	**1,307.11**
	ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	109.51	...	...	109.51
	ग्रामीण रोजगार	537.99	...	...	537.99
	भूमि सुधार	1.26	...	...	1.26
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	633.79	24.56	...	658.35
ग.3	**विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	**...**	**...**	**...**	**...**
ग.4	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण**	**449.74**	**385.47**	**...**	**835.21**
	मुख्य सिंचाई	16.33	...	...	16.33
	मध्यम सिंचाई	14.44	0.04	...	14.48
	लघु सिंचाई	416.71	294.69	...	711.40
	कमाण्ड क्षेत्र विकास	...	57.72	...	57.72

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)
क. व्यय कार्यानुसार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राजस्व	पूंजीगत	ऋण तथा अग्रिम	जोड़
ग.	**आर्थिक सेवाएं समाप्त**				
ग.4	**सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण**				
	बाढ़ नियन्त्रण और जल निकास	2.26	33.02	...	35.28
ग.5	**ऊर्जा**	**1,151.43**	**23.50**	**98.35**	**1,273.28**
	बिजली	1,148.23	23.50	98.35	1,270.08
	नई तथा नवीनीकरण ऊर्जा	3.20	...	...	3.20
ग.6	**उद्योग और खनिज**	**195.34**	**72.09**	**...**	**267.43**
	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	169.62	72.09	...	241.71
	उद्योग	12.97	...	...	12.97
	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12.75	...	...	12.75
ग.7	**परिवहन**	**2,453.12**	**2,680.41**	**...**	**5,133.53**
	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइन	...	154.72	...	154.72
	नागरिक विमानन	7.39	315.82	...	323.21
	सड़कें और पुल	1,696.90	2,065.12	...	3,762.02
	सड़क परिवहन	746.83	132.49	...	879.32
	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.06	...	...	0.06
	अन्य परिवहन सेवाएं	1.94	12.26	...	14.20
ग.8	**संचार**	**...**	**...**	**...**	**...**
ग.9	**विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण**	**8.44**	**...**	**...**	**8.44**
	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	7.50	...	...	7.50
	परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण	0.94	...	...	0.94
ग.10	**सामान्य आर्थिक सेवाएं**	**176.34**	**335.86**	**...**	**512.20**
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	31.99	...	...	31.99
	पर्यटन	19.30	63.72	...	83.02
	जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	104.94	...	...	104.94
	नागरिक आपूर्ति	16.72	...	...	16.72
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.39	272.14	...	275.53
	जोड़-ग आर्थिक सेवाएं	**8,262.25**	**3,529.47**	**98.35**	**11,890.07**
ड.	**सरकारी कर्मचारियों को ऋण**				
	सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	...	8.60	8.60
	जोड़ ड-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	**...**	**...**	**8.60**	**8.60**
च.	**लोक ऋण**				
	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	...	7,788.24	7,788.24
	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	...	107.63	107.63
	जोड़ च-लोक ऋण	**...**	**...**	**7,895.87**	**7,895.87**
	जोड़-समेकित निधि व्यय	**44,731.59**	**5,629.79**	**8,002.82**	**58,364.20***

* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच (-) ₹ 0.05 लाख का अन्तर है।

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2023-24			2022-23			2021-22		
	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
वेतन	15,046.97	....	15,046.97	15,569.01	....	15,569.01	11,990.28	....	11,990.28
पैन्शन	9,212.64(क)	....	9,212.64	9,283.87	....	9,283.87	6,398.91	....	6,398.91
ब्याज	5,648.37	....	5,648.37	4,828.64	....	4,828.64	4,640.79	....	4,640.79
सहायता अनुदान (गैर वेतन)	2,409.71	....	2,409.71	2,734.01	....	2,734.01	2,459.74	....	2,459.74
अन्य प्रभार	3,438.77	....	3,438.77	2,600.87	....	2,600.87	3,047.32	....	3,047.32
मरम्मत	2,074.18	....	2,074.18	2,235.32	....	2,235.32	2,056.04	....	2,056.04
उपदान	1,768.35	....	1,768.35	1,973.32	....	1,973.32	1,187.99	....	1,187.99
सहायता अनुदान (वेतन)	1,771.45	....	1,771.45	1,736.31	....	1,736.31	1,687.79	....	1,687.79
पूंजीगत सम्पति निर्माण के लिए अनुदान	911.05	....	911.05	1,376.62	....	1,376.62	833.26	....	833.26
सामाजिक सुरक्षा पैंशन	1,251.54	....	1,251.54	1,150.48	....	1,150.48	915.13	....	915.13
उचन्त	746.92	....	746.92	720.37	....	720.37	1,000.64	....	1,000.64
ऊर्जा प्रभार	503.74	....	503.74	475.92	....	475.92	464.43	....	464.43
मानदेय	503.50	....	503.50	471.48	....	471.48	352.82	....	352.82
सामग्री एवं आपूर्ति	361.63	44.99	406.62	447.12	49.66	496.78	486.54	41.28	527.82
मजदूरी	305.61	....	305.61	281.86	....	281.86	202.24	....	202.24
लघु कार्य	145.51	....	145.51	227.34	....	227.34	211.40	....	211.40
कार्यालय व्यय	183.64	....	183.64	200.78	....	200.78	200.48	....	200.48
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	183.36	....	183.36	185.37	....	185.37	176.24	....	176.24
आउट्‌ सोर्स कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक	210.05	....	210.05	181.19	....	181.19	150.64	....	150.64
छात्रवृत्रि, वजीफा एवं रियायत	98.46	....	98.46	144.65	....	144.65	70.01	....	70.01
मोटर वाहन	68.23	....	68.23	77.63	....	77.63	58.11	....	58.11
विज्ञापन एवं प्रचार	33.61	....	33.61	74.56	....	74.56	49.84	....	49.84
यात्रा व्यय	39.28	....	39.28	44.09	....	44.09	35.02	....	35.02
किराया,कर एवं उपकर	36.48	....	36.48	31.43	....	31.43	29.65	....	29.65
मशीनरी व उपस्कर	21.58	92.96	114.54	29.93	191.11	221.04	44.73	60.06	104.79
व्यवसायिक तथा विशेष सेवाऐं	23.32	....	23.32	27.04	....	27.04	23.52	....	23.52
मोटर वाहन (खरीद)	4.67	...	4.67	16.61	....	16.61	26.54	....	26.54
आतिथ्य और मनोंरजन व्यय	8.89	...	8.89	8.91	...	8.91	6.57	...	6.57
परिलब्धियां	4.91	...	4.91	4.11	...	4.11	4.56	...	4.56
वर्दी	4.41	...	4.41	3.58	...	3.58	3.65	...	3.65
प्रशिक्षण	3.35	...	3.35	3.06	...	3.06	3.48	...	3.48
मुआवजा	213.12	42.82	255.94	2.86	89.86	92.72	464.42	59.73	524.15
प्रकाशन	2.01	...	2.01	2.21	...	2.21	1.44	...	1.44
स्थानांतरण व्यय	1.48	...	1.48	0.87	...	0.87	1.38	...	1.38
प्रस्तुत	2.03	...	2.03	0.85	...	0.85	0.45	...	0.45
गुप्त सेवा व्यय	0.50	...	0.50	0.41	...	0.41	0.47	...	0.47
पुरस्कार	0.02	...	0.02	0.25	...	0.25	...	...	...

4 व्यय की विवरणी (समेकित निधि)

ख. व्यय की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

व्यय का विवरण	2023-24			2022-23			2021-22		
	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़	राजस्व	पूंजीगत	जोड़
सत्कार भत्ता	0.29	...	0.29	0.20	...	0.20	0.23	...	0.23
निवेश	....	182.52	182.52**	....	422.94	422.94	....	352.36	352.36
उपदान	1,081.82(क)	....	1,081.82	....	....	....	....	....	....
मुख्य कार्य	....	5,327.16	5,327.16	....	5,310.29	5,310.29	....	5,563.93	5,563.93
ब्याज पर सब्सिडी	5.25	...	5.25	...	...	...	...	...	...
ऋण	...	8,002.83	8,002.83	...	10,246.27	10,246.27	...	4,765.25	4,765.25
घटाएं-वसूली	3,599.05	60.66	3,659.71	2,727.86	34.97	2,762.83	3,092.21	47.98	3,140.19
जोड़	**44,731.65***	**13,632.62**	**58,364.27***	**44,425.27**	**16,275.16**	**60,700.43**	**36,194.54**	**10,794.63**	**46,989.17**

* पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरण 2 और 4 क के आंकड़ों से अन्तर है।

टिप्पणीः- कुल सहायता अनुदान ₹ 5,092.21 करोड़,{(सहायता अनुदान ₹ 1,771.45 करोड़ + सहायता अनुदान ₹ 2,409.71 करोड़ (गैर वेतन) + पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान ₹ 911.05 करोड़ राजस्व संवितरण)}

(क) विवरण 2 और 4क में कुल पेंशन ₹ 10,055.85 करोड़, विवरण 4ख में पेंशन ₹ 9,212.64 करोड़ + ग्रेच्युटी ₹ 1,081.82 करोड़ पेंशन से वसूली ₹ 238.62 करोड़ (कटौती पंक्ति में शामिल) को अलग-अलग दर्शाए जाने के कारण अन्तर है।

** विवरण 8 में दिए गए ₹ 8.14 करोड़ के आंकड़ों से भिन्नता है। क्योंकि एच.आर.टी.सी में ₹ 9.93 करोड़ का निवेश किया गया (निवेश के अलावा वस्तु शीर्ष और लघु शीर्ष) तथा ₹ 1.81 करोड़ का मोचन और सहकारी समितियों में ₹ 0.02 करोड़, की वृद्धि की किया गई ।

पूर्ण आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त स्त्रातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय #	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
क.	**सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					**(₹ करोड़ में)**
4047	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.08	...	0.08	...
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	93.41	689.26	76.41	765.67	(-)18.20
4058	लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1.22	6.59	...	6.59	(-)100.00
4059	लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	185.78	1,920.88	269.77	2,190.65	(+)45.21
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	16.97	124.40	10.53	134.93	(-)37.95
	जोड़-क.सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	**297.38**	**2,741.21**	**356.71**	**3,097.92**	**(+)19.95**
ख.	**सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा**					
(क)	***शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा***					
4202	शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	411.24	4,685.90	300.30	4,986.20	(-)26.98
	जोड़- (क) शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति का पूंजीगत लेखा	**411.24**	**4,685.90**	**300.30**	**4,986.20**	**(-)26.98**
(ख)	***स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-***					
4210	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	551.64	3,267.37	295.67	3,563.04	(-)46.40
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	...	33.22	...	33.22	...
	जोड़- (ख)स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-	**551.64**	**3,300.59**	**295.67**	**3,596.26**	**(-)46.40**
(ग)	***जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-***					
4215	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	812.04	9,312.47	1,022.97	10,335.44	(+)25.98
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	34.08	1,114.98	24.82	1,139.81	(-)27.17
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	139.46	405.64	61.24	466.88	(-)56.09
	जोड़- (ग) जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-	**985.58**	**10,833.09**	**1,109.03**	**11,942.13**	**(+)12.53**
(घ)	***सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-***					
4220	सूचना एवं प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	0.72	11.77	0.47	12.24	(-)34.72
	जोड़- (घ) सूचना एवं प्रसारण का पूंजीगत लेखा-	**0.72**	**11.77**	**0.47**	**12.24**	**(-)34.72**

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय #	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
						(₹ करोड़ में)
ख.	सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, ग, घ, ड़, छ, ज) समाप्त					
(ड़)	*अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-*					
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.44	231.28	1.27	232.55	(-)80.28
	जोड़- (ड़.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-	**6.44**	**231.28**	**1.27**	**232.55**	**(-)80.28**
(छ)	*सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-*					
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	5.25	146.29	35.96	182.24	(+)584.95
	जोड़- (छ) सामाजिक कल्याण तथा पोषाहार का पूंजीगत लेखा-	**5.25**	**146.29**	**35.96**	**182.24**	**(+)584.95**
(ज)	**अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-**					
4250	अन्य सामाजिक सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय	1.15	17.45	0.91	18.36	(-)20.87
	जोड़- (ज) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**1.15**	**17.45**	**0.91**	**18.36**	**(-)20.87**
	जोड़-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**1,962.02**	**19,226.37**	**1,743.61**	**20,969.98**	**(-)11.13**
ग.	**आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)**					
(क)	*कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा*					
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	32.42	168.35	(-)10.90	157.46	(-)133.62
4402	भू तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	19.15	552.58	0.57	553.14	(-)97.02
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	16.17	186.61	7.73	194.34	(-)52.20
4404	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.38	...	5.38	...
4405	मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	2.67	59.46	3.77	63.23	(+)41.20
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	19.68	216.84	6.07	222.91	(-)69.16
4408	खाद्य, भण्डारण एवं भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	0.12	39.90	0.07	39.97	(-)41.67

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय #	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
						(₹ करोड़ में)
ग.	आर्थिक सेवाऒं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)-क्रमशः					
(क)	*कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा-समाप्त*					
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.42	...	3.42	...
4416	कृषि वित्तीय संस्थान पर पूंजीगत परिव्यय	...	9.49	...	9.49	...
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.16	78.94	0.27	79.21	(+)68.75
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.21	...	2.21	...
	जोड़- (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप का पूंजीगत लेखा	**90.37**	**1,323.18**	**7.58**	**1,330.76**	**(-)91.61**
(ख)	*ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा*					
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	41.71	146.40	24.56	170.96	(-)41.12
	जोड़- (ख) ग्रामीण विकास का पूंजीगत लेखा	**41.71**	**146.40**	**24.56**	**170.96**	**(-)41.12**
(घ)	*सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा*					
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	...	282.83	...	282.83	...
4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	17.00	763.68	0.04	763.72	(-)99.76
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	208.55	3,005.97	294.69	3,300.66	(+)41.30
4705	कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	57.02	437.97	57.72	495.69	(+)1.23
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	55.71	1,594.25	33.02	1,627.28	(-)40.73
	जोड़- (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण का पूंजीगत लेखा	**338.28**	**6,084.70**	**385.47**	**6,470.18**	**(+)13.95**
(ड़.)	*ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-*					
4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100.35	3,552.37	23.50	3,575.87	(-)76.58
	जोड़- (ड़.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	**100.35**	**3,552.37**	**23.50**	**3,575.87**	**(-)76.58**
(च.)	*उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा*					
4851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	198.28	806.91	72.09	879.00	(-)63.64
4853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.12	...	0.12	...
4858	अभियात्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.87	...	3.87	...
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.97	...	2.97	...

5. प्रगामी पूंजीगत व्यय की विवरणी

मुख्य शीर्ष	विवरण	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 तक प्रगामी व्यय #	2023-24 के दौरान व्यय	2023-24 तक प्रगामी व्यय	वर्ष 2023-24 के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
	1	2	3	4	5	6
ग.	*आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-(क, ख, घ, ड़, च, छ, ज)-समाप्त*					(₹ करोड़ में)
(च.)	*उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा -समाप्त*					
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	...	70.34	...	70.34	...
	जोड़- (च) उद्योग तथा खनिज का पूंजीगत लेखा	**198.28**	**884.21**	**72.09**	**956.30**	**(-)63.64**
(छ)	**परिवहन का पूंजीगत लेखा**					
5002	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	233.17	902.77	154.72	1,057.49	(-)33.64
5053	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	21.68	144.39	315.82	460.21	(+)1356.73
5054	सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,178.22	22,491.24	2,065.12	24,556.36	(-)5.19
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	228.15	1,531.93	132.49	1,664.42	(-)41.93
5056	अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	...	2.20	...	2.20	...
5075	अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	19.16	12.26	31.42	(+)308.67
	जोड़- (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	**2,664.22**	**25,091.69**	**2,680.41**	**27,772.10**	**(+)0.61**
(ज)	*सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-*					
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	89.09	391.27	63.72	455.00	(-)28.48
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	...	3.29	...	3.29	...
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	247.18	2,043.66	272.14	2,315.80	(+)10.10
	जोड़- (ज)सामान्य आर्थिकं सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**336.27**	**2,438.22**	**335.86**	**2,774.09**	**(-)0.12**
	जोड़-ग- आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-	**3,769.48**	**39,520.77**	**3,529.47**	**43,050.26**	**(-)6.37**
	सकल योग	**6,028.88**	**61,488.35**	**5,629.79***	**67,118.16****	**(-)6.62**

पूर्ण आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त खातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच ₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

** पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णांक के बीच (-)₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

व्यास्व्यात्मक टिप्पणियां

2023-24 में सरकार ने सांविधिक निगमों/बोर्डो, में ₹ 96.75 करोड़,सरकार तथा अन्य कम्पनियों में ₹ 95.50 करोड़ तथा सहकारी वर्ष के दौरान सहकारी बैंक, के द्वारा ₹ (-)1.59 करोड़, सहकारी बैंको द्वारा शेयर पूंजी की कोई भी राशि भुनाई नही गई, सहकारी समितियों के द्वारा ₹1.81 करोड़,की शेयर पूंजी का विमोचन किया गया तथा ₹ 0.02 करोड़ पिछले वर्ष की समाधान राशि को इस वर्ष जमा किया गया ।

वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के अन्त तक विभिन्न प्रतिष्ठानों की शेयर पूंजी एवं ऋण पत्रों में सरकार का कुल निवेश क्रमशः ₹ 4,913.00 करोड़, ₹ 5,333.57 करोड़,तथा ₹ 5,524.23 करोड़, था। उन पर वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के अन्त तक क्रमशः ₹ 166.53 करोड़, ₹ 180.90 करोड़, तथा ₹ 191.17 करोड़ लाभांश प्राप्त किया।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

(₹ करोड़ में)

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2024 को शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्रतिशतता कुल दायित्व
					राशि	प्रतिशत	
क. लोक ऋण							
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण							
बाजार ऋण	46,002.16	8,072.00	1,927.10	52,147.06	(+)6,144.90	(+)13.36	54.53
मुआवजा तथा अन्य बॉंड	2,601.45	...	289.05	2,312.40	(-)289.05	(-)11.11	2.42
वित्तीय संस्थानों से ऋण	3,550.89	799.99	622.61	3,728.27	(+)177.38	(+)5.00	3.90
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	...	4,380.37	4,380.37	...	...	...	...
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,820.66	...	569.10	3,251.56	(-)569.10	(-)14.90	3.40
जोड़-6003	**55,975.16**	**13,252.36**	**7,788.23**	**61,439.29**	**(+)5,464.13**	**(+)9.76**	**64.24**
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम							
01 आयोजनेतर ऋण							
201 गृह निर्माण अग्रिम	0.11	...	0.03	0.08	(-)0.03	(-)27.27	…
800 अन्य ऋण	1.39	...	0.38	1.01	(-)0.38	(-)27.34	…
जोड़-01	**1.50**	**...**	**0.41**	**1.09**	**(-)0.41**	**(-)27.33**	**…**
02-राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की योजनागत स्कीमों के लिए ऋण							
101 ब्लाक ऋण	3,006.53	...	57.58	2,948.95	(-)57.58	(-)1.92	3.08
105 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप समेकित राज्य योजनागत ऋण	55.12	...	45.29	9.83	(-)45.29	(-)82.17	0.01
जोड़-02	**3,061.65**	**...**	**102.87**	**2,958.78**	**(-)102.87**	**(-)3.36**	**3.09**

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

(i) लोक ऋण तथा अन्य दायित्व की विवरणी

(₹ करोड़ में)

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च 2024 को शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्रतिशतता कुल दायित्व
					राशि	प्रतिशत	
क. लोक ऋण-समाप्त							
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम-समाप्त							
07 1984-85 से पूर्वकालिक ऋण							
102 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम	0.13	...	...	0.13	...	...	...
जोड़-07	**0.13**	**...**	**...**	**0.13**	**...**	**...**	**...**
09 राज्यों/विधान मण्डल संघ राज्य क्षेत्र वाले की स्कीमों के लिए अन्य ऋण							
101 ब्लाक ऋण	4,325.03	1,649.15	4.34	5,969.84	(+)1,644.81	(+)38.03	6.24
जोड़-09	**4,325.03**	**1,649.15**	**4.34**	**5,969.84**	**(+)1,644.81**	**(+)38.03**	**6.24**
जोड़-6004	**7,388.31**	**1,649.15**	**107.62**	**8,929.84**	**(+)1,541.53**	**(+)20.86**	**9.34**
जोड़-क लोक ऋण	**63,363.47**	**14,901.51**	**7,895.85**	**70,369.13**	**(+)7,005.66**	**(+)11.06**	**73.58**
ख-अन्य दायित्व							
लोक लेखा							
लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	17,682.25	4,794.75	3,139.42	19,337.58	(+)1,655.33	(+)9.36	20.22
सब्याज आरक्षित निधियां	1,664.27	858.53	553.73	1,969.07	(+)304.80	(+)18.31	2.06
ब्याज रहित आरक्षित निधियां	270.44	787.25	747.00	310.69	(+)40.25	(+)14.88	0.32
सब्याज जमा राशियां	17.39	159.90	160.79	16.50	(-)0.89	(-)5.12	0.02
ब्याज रहित जमा राशियां	3,591.61	3,911.23	3,872.85	3,629.99	(+)38.38	(+)1.07	3.80
जोड़-ख-अन्य दायित्व	**23,225.96**	**10,511.66**	**8,473.79**	**25,263.83**	**(+)2,037.87**	**(+)8.77**	**26.42**
जोड़-लोक ऋण तथा अन्य दायित्व	**86,589.43**	**25,413.17**	**16,369.64**	**95,632.96***	**(+)9,043.53**	**(+)10.44**	**100.00**

* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णाक के बीच ₹ 0.02 लाख का अन्तर है।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. ऋण परिशोधन के लिए प्रबन्धः- खुले बाजार में लिए गए ऋणों के परिशोधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध नही किए गए हैं-

2. लघु बचत निधि से ऋणः- लघु बचत योजना तथा डाकघरों में 'लोक भविष्य निधि', एकत्रित राशि में प्राप्त ऋण केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा 3:1 अनुपात में सांझा किया जाता है। 1999-2000 में 'लघु बचत संचित' राशि मे से ऋण जारी करने हेतू एक अलग निधि 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' का सृजन किया गया। 2023-24 के दौरान प्राप्त ऋणों की राशि ₹ शून्य करोड़ और ₹ 569.10 करोड़ का भुगतान किया गया। वर्ष के अन्त तक शेष राशि ₹ 3,251.56 करोड़ थी जो 31 मार्च, 2024 तक राज्य सरकार की कुल आंतरिक ऋण का 5.29 *प्रतिशत* और राज्य सरकार की कुल लोक ऋण का 4.62 प्रतिशत था ।

3. राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण, बाजार ऋण इत्यादि

(क) बाजार ऋणः- खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन ऋण इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 14 ऋण ₹ 300.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 1,000.00 करोड़, ₹ 800.00 करोड़, ₹ 700.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 500.00 करोड़, ₹ 600.00 करोड़, तथा ₹ 672.00 करोड़ क्रमशः 7.26 *प्रतिशत*, 7.29 *प्रतिशत*, 7.45 *प्रतिशत*, 7.50 *प्रतिशत*, 7.42 *प्रतिशत*, 7.62 *प्रतिशत*, 7.74 *प्रतिशत*, 7.61 प्रतिशत, 7.65 प्रतिशत, 7.67 प्रतिशत, 7.64 प्रतिशत, 7.39 प्रतिशत, 7.41 प्रतिशत, तथा 7.52 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज की दर से समतुल्य ऋण जारी किए जो नगद वसूल हुए। ये ऋण, जुन 2029, जुन 2031,जुलाई 2033, जुलाई 2038, सितम्बर 2038, अक्तूबर 2043,नवम्बर 2038, दिसंबर 2038 दिसंबर 2035, जनवरी 2034, जनवरी 2039, मार्च 2034, मार्च 2036, तथा मार्च 2039 में विमोच्य है।

सात दीर्घकालीन ऋण ₹ 250.00 करोड़, ₹ 600.00 करोड़, ₹ 102.10 करोड़, ₹ 175.00 करोड़, ₹ 300.00 करोड़, ₹ 200.00 करोड़,तथा ₹ 300.00 करोड़ क्रमशः 8.24 *प्रतिशत,* 7.62 *प्रतिशत,* 9.39 *प्रतिशत,* 9.75 *प्रतिशत*, 9.32 प्रतिशत, 9.38 प्रतिशत, तथा 9.50 *प्रतिशत,* की दर से वर्ष के दौरान उन्मोचन हेतु अधिसूचित किये गये।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋणः-ये भी दीर्घकालीन सब्याज ऋण है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के लिए दिए जाते है तथा राज्य सरकार द्वारा मानी गई शर्तो के अनुरूप लौटाये जाते है। इस वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 2.85 करोड़ की राशि चुकाई गई थी।

(ग) कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से ऋणः-ये ऋण कृषि व ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा इस बैंक से ₹ 799.99 करोड़ की राशि ली गई थी, तथा ₹ 597.61 करोड़ वापिस किए गए । वर्ष के अन्त तक बकाया शेष ₹ 3,640.23 करोड़, है।

(घ) मुआवजा और अन्य बॉडः- वर्ष के दौरान ₹ 289.05 करोड़ की राशि चुकाई गई। वर्ष के अन्त में बकाया राशि ₹ 2,312.40 करोड़ है। यह ऋण राज्य सरकार द्वारा उदय के तहत हिमाचल प्रदेश विशेष बॉड़ के कारण प्राप्त किया गया था।

(ड)राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋणः- ये ऋण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाते है। वर्ष के दौरान ₹ शून्य करोड़ की राशि ली गई तथा वर्ष के दौरान ₹ 21.97 करोड़ वापिस किए गए । वर्ष के अन्त तक ₹ 75.11 करोड़, बकाया शेष है।

(च) अन्य संस्थानों से ऋणः- ये ऋण विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा जैसे कि नगर निगम (एल.आई.सी.) से ऋण। वर्ष के दौरान ₹ शून्य करोड़ की राशि चुकाई गई। वर्ष के अन्त में बकाया शेष ₹ 0.19 करोड़ है।

(छ) भारतीय रिजर्ब बैंक से आर्थोपाय अग्रिमः- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय ऋण- रिजर्व बैंक के साथ रखे जाने वाले आपेक्षित न्यूनतम नकद जैसे ₹ 0.55 करोड़ को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से समय-2 पर अर्थोपाय अग्रिम लिए जाते है। वर्ष 2023-24 के दौरान साधारण आर्थोपाय अग्रिम ₹ 3,504.59 करोड़ की राशि ली गई तथा विशेष आहरण राशि के रूप में ₹ 875.78 करोड़ की राशि ली गई और क्रमशः ₹ 3,504.59 करोड़ व ₹ 875.78 करोड़ की वापसी की गई ।

6. उधारों तथा अन्य दायित्वों की विवरणी
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

4. ऋण का उपयोग:-

ऋण और अन्य दायित्व पर ब्याज:- वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 के दौरान प्रभारित ब्याज के कारण राजस्व में से लिए गए सकल बकाया ऋण और अन्य दायित्वों तथा कुल निवल राशि नीचे दी गई है।

	2023-24	2022-23	वर्ष 2023-24 के दौरान निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)
			(₹ करोड़ में)
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधि इत्यादि	89,706.69	81,045.72	(+)8,660.98
(ख) अन्य दायित्व	5,926.25	5,543.71	(+)382.53
जोड़-(i)	**95,632.94***	**86,589.43**	**(+)9,043.51**
(ii) सरकार द्वारा अदा किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, लघु बचतें तथा भविष्य निधियां आदि पर	5,594.33	4,774.77	(+)819.56
(ख) अन्य दायित्व पर	54.03	53.87	(+)0.16
जोड़ (ii)	**5,648.36**	**4,828.64**	**(+)819.72**
(iii) घटाये			
(क) सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	47.65	15.44	(+)32.21
(ख) रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज	21.43	20.91	(+)0.52
जोड़ (iii)	**69.08**	**36.35**	**(+)32.73**
(iv) ब्याज की प्रभारों की निवल	**5,579.28**	**4,792.29**	**(+)786.99**
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	14.42	12.68	(+)1.74
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति निवल ब्याज (मद iv) की प्रतिशतता	14.24	12.58	(+)1.66

टिप्पणी:- सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न लोक उपक्रमों और अन्य निवेशों अदि से ₹ 191.17 करोड़ लाभांश के रूप में भी प्राप्त किए। (मुख्य शीर्ष-0050 पृष्ठ 61 खण्ड-II) देखें।

* आंकड़ों में अन्तर पूर्णाकन के कारण है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी

भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सारः उधारग्रहीता समूहवार

(₹ करोड़ में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2023 को शेष #	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2024 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2023-24 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-2)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेंवाएं							
नगर पालिका,नगर परिषद एवं नगर निगम	7.57	...	..	...	7.57	...	*
शहरी विकास प्राधिकरण	1.07	...	0.01	...	1.06	(-)0.01	*
आवासीय बोर्ड	4.20	...	0.11	...	4.09	(-)0.11	*
सांविधिक निगम	6.43	...	..	...	6.43	...	*
अन्य	11.21	...	..	...	11.21	...	*
जोड़-सामाजिक सेंवाए	**30.48**	**...**	**0.12**	**...**	**30.36**	**(-)0.12**	*
आर्थिक सेवायें							
पंचायती राज संस्थाएं	0.04	...	..	...	0.04	…	*
सांविधिक निगम	7,831.31	98.35	..	...	7,929.66	(+)98.35	*
सहकारी समितियां/सहकारी बैंक	66.97	...	21.49	...	45.48	(-)21.49	*
अन्य	96.72	...	0.03	...	96.69	(-)0.03	*
जोड़- आर्थिक सेवायें	**7,995.04**	**98.35**	**21.52**	**...**	**8,071.87**	**76.83**	*
सरकारी कर्मचारी और विविध प्रयोजन							
सरकारी कर्मचारी	26.09	8.60	5.76	...	28.93	(+)2.84	*
विविध प्रयोजन	1.02	...	...	...	1.02	…	*
जोड़- सरकारी कर्मचारी और विविध प्रयोजन	**27.11**	**8.60**	**5.76**	**...**	**29.95**	**2.84**	*
जोड़-	**8,052.63****	**106.95**	**27.40**	**...**	**8,132.18****	**(+)79.55**	*****

* राज्य सरकार द्वारा जानकारी नही दी गई ।

** पृष्ठ संख्या 30 पर आंकड़ों में अन्तर पूर्णाकन के कारण है।

क्षेत्रवार विवरण के चित्रण के कारण 31 मार्च 2023 तक प्रारंभिक शेष समापन प्रारंभिक शेष राशि समापन शेष से भिन्न है।

पूर्ण आंकड़ों को पूर्णाकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त खातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹ 0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

टिप्पणियां: ब्यौरे के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण का भाग I देखें (पृष्ठ संख्या 169 से 172 खण्ड-II) देखे।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी

भाग-1 ऋण एवं अग्रिम का सारः उधारग्रहीता समूहवार

शाश्वत ऋणों के रूप में स्वीकृत ऋण के निम्नलिखित मामले है।

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड **(एचपीएमसी)**	2011-12	एच.टी.सी-एफ(11)3/2011	7.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड **(एचपीएमसी)**	2012-13	एच.टी.सी-एफ(1)3/2010(खण्ड -II)	5.00	ब्याज रहित
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड **(एचपीएमसी)**	2017-18	एच.टी.सी-एफ(11)-1/2013	8.00	ब्याज रहित

भाग-2 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांशः क्षेत्रवार

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2023 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान	वर्ष के दौरान वापसी	ऋण और अग्रिम के बट्टे खाते	31 मार्च 2024 के अन्त शेष (2+3)-(4+5)	वर्ष 2023-24 के दौरान निवल वृद्धि(+)/कमी(-) (6-2)	ब्याज का बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8
सामाजिक सेवाएं	30.48	…	0.12	…	30.36	(-)0.12	…
आर्थिक सेवाएं	7,995.03	98.35	21.52	…	8,071.86	(+)76.83	…
अन्य सेवाएं	27.11	8.60	5.76	…	29.95	(+)2.85	…
जोड़-	**8,052.62**	**106.95**	**27.40**	**…**	**8,132.17***	**79.55**	**…**

* पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णाक के बीच (-)₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

7. सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की विवरणी
भाग-3 ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च 2023 को बकाया राशि			शीघ्रतन अवधि जिसमें बकाया सम्बधित है	31 मार्च 2024 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज *	जोड़		
1	2	3	4	5	6
नगर पालिका,नगर परिषद एवं नगर निगम	0.57	…	0.57	2001-02	7.57
आवासीय बोर्ड	1.16	…	1.16	2009-10	1.16
एच.पी.एम.सी	14.54	…	14.54	2015-16	60.09
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	5.61	…	5.61	1987-88	5.61
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि.	74.75	…	74.75	1987-88	2,983.15
सामान्य वित्तीय संस्थाऐं	0.10	…	0.10	1985-86	0.10
जोड़-	**96.73**	**…**	**96.73**		**3,057.68**

* राज्य सरकार द्वारा जानकारी नही दी गई ।

8. सरकार के निवेशों की विवरणी

विभिन्न संस्थानों में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान सरकार के निवेश प्रतिदेय शेयर एवं ऋणपत्र का तुलनात्मक सार

(₹ करोड़ में)

प्रतिष्ठान का नाम	2023-24			2022-23		
	प्रतिष्ठानो की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति	प्रतिष्ठानो की संख्या	वर्ष के अन्त तक निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्ति
1. सांविधिक निगम/बोर्ड	6	2,290.01	…	6	2,193.26	0.05
2. सरकारी कम्पनियां	26	2,084.19	3.81	27	1,988.69	0.70
3. अन्य सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार						
(i) केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां	1	1,098.14	186.74	1	1,098.14	179.35
(ii) अन्य कम्पनियां	13	0.10	0.02	13	0.10	0.05
जोड़- सयुंक्त स्टॉक कम्पनियां एवं सांझेदार	**14**	**1,098.24**	**186.76**	**14**	**1,098.24**	**179.40**
4. सहकारी बैंक	9	13.37	0.12	9	13.37	0.10
5. सहकारी संस्थाएँ और स्थानीय निकाय						
(i) सहकारी समितियां	15	38.42	0.48	15	40.01	0.65
जोड़-	**70**	**5,524.23**	**191.17**	**71**	**5,333.57**	**180.90**

स्त्रोतः राज्य सरकार

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी

सांविधिक निगमों,सरकारी कम्पनियों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गए ऋण आदि की चुकौती के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां एवं विभिन्न क्षेत्रों में 31 मार्च 2024 तक बकाया प्रत्याभूत राशियां नीचे दिखाई गई हैं :-

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र(कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत गारंटियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत		वर्ष के अन्त में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
विद्युत (12)	2,084.77	1,217.06	514.28	577.76	…	…	1,153.58	…	…	…
सहकारी बैंक (1)	350.00	259.32	95.21	96.59	…	…	257.94	…	…	…
सड़क और परिवहन (10)	449.00	210.90	88.90	66.05	…	…	233.75	1.10	…	…
राज्य वित्तीय निगम (2)	30.00	7.02	4.71	5.11	…	…	6.62	…	…	…
अन्य संस्थान (1)	10.00	7.34	2.48	2.22	…	…	7.60	0.05	…	…
अन्य कोई (12)	177.00	75.89	25.43	16.00	…	…	85.32	…	…	…
शहरी विकास और आवास (4)	28.08	3.10	0.08	3.18	…	…	…	0.61	…	…
जोड़ -(42)	**3,128.85**	**1,780.63**	**731.09**	**766.91**	**…**	**…**	**1,744.81**	**1.76**	**…**	**…**

स्त्रोतः राज्य सरकार

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां			कॉलम 2 के अर्न्तगत कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान		
1	2			3		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़
						(₹ करोड़ में)
1.पंचायती राज संस्थाएं-						
(i) जिला परिषद	189.81	...	189.81	2.32	...	2.32
(ii) पंचायत समितियां	40.82	...	40.82	25.35	...	25.35
(iii) ग्राम पंचायतें	263.98	213.50	477.48	60.43	7.80	68.23
जोड़-	**494.61**	**213.50**	**708.11**	**88.10**	**7.80**	**95.90**
2.स्थानीय शहरी निकाय-						
(i) नगर निगम	369.80	202.26	572.06	276.92	200.77	477.69
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	279.22	61.44	340.66	124.74	59.24	183.98
(iii) *अन्य*	0.70	6.38	7.08	...	...	...
जोड़-	**649.72**	**270.08**	**919.80**	**401.66**	**260.01**	**661.67**
3.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-						
(i) सरकारी कम्पनियां	1.61	...	1.61	...	...	...
(ii) सांविधिक निगम	325.54	3.60	329.14	...	...	...
जोड़-	**327.15**	**3.60**	**330.75**	**...**	**...**	**...**
4.स्वायत निकाय-						
(i) विश्वविद्यालय	435.60	12.67	448.27	0.35	...	0.35
(ii) विकास प्राधिकरण	35.27	41.86	77.13	4.59	0.30	4.89
(iii) सहकारी संस्थान	125.98	56.66	182.64	1.79	...	1.79
(iv) अन्य	147.32	25.07	172.39	43.39	2.40	45.79
जोड़-	**744.17**	**136.26**	**880.43**	**50.12**	**2.70**	**52.82**

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(i) रोकड़ में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां			कॉलम 2 के अन्तर्गत कुल निधि से जारी किया गया पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण के लिए अनुदान		
1	2			3		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजना)	जोड़
						(₹ करोड़ में)
5. शिक्षा-						
(i) प्रारम्भिक शिक्षा	68.96	372.23	441.19	...	...	...
(ii) माध्यमिक शिक्षा	48.84	232.91	281.75	...	...	...
(iii) उच्च शिक्षा	36.51	..	36.51	0.66	...	0.66
जोड़-	**154.31**	**605.14**	**759.45**	**0.66**	**…**	**0.66**
6. अन्य-						
(i) वन	115.72	…	115.72	4.70	…	4.70
(ii) सामाजिक कल्याण	207.95	391.16	599.11	2.58	47.76	50.34
(iii) विविध	416.17	362.66	778.83	29.95	15.02	44.97
जोड़-	**739.84**	**753.82**	**1,493.66**	**37.23**	**62.78**	**100.01**
कुल जोड़-	**3,109.80**	**1,982.40**	**5,092.20***	**577.77**	**333.29**	**911.06****

* पूर्णाकित कुल योग और संगत पूर्णाकित पूर्णाक के बीच (-)₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

** पूर्णाकित कुल योग और संगत पूर्णाकित पूर्णाक के बीच ₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

** ₹ 911.06 करोड़ की सहायता अनुदान जोकि पूंजीगत सम्पतियों के निर्माण हेतू पृष्ठ संख्या 17 (खण्ड- I)

10. सरकार द्वारा दिए गए सहायतानुदानों की विवरणी

(ii) वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान

नाम/अनुदानग्राही की श्रेणी	सहायता अनुदान के रुप में जारी कुल निधियां	पूंजीगत सम्पत्तियों की प्रकृति के वस्तु में दिया हुआ सहायता अनुदान का कुल मुल्य
1	2	3
	2023-24	2023-24
1.पंचायती राज संस्थाएं-		
(i) जिला परिषद	...	...
(ii) पंचायत समितियां	...	...
2.स्थानीय शहरी निकाय-		
(i) नगर निगम	...	...
(ii) नगर पालिका/नगर परिषद	...	...
(iii) अन्य	...	...
3.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-		
(i) सरकारी कम्पनियां	...	...
(ii) सांविधिक निगम	...	...
4.स्वायत निकाय-		
(i) विश्वविद्यालय	...	...
(ii) विकास प्राधिकरण	...	...
(iii) सहकारी समितियां	...	...
(iv) अन्य	...	...
5.गैर सरकारी संगठन-	...	...
जोड़-	...	...

टिप्पणीः- राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई।

11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय की विवरणी

विवरण	वास्तविक					
	2023-24			2022-23 #		
	प्रभारित	दत्तमत	जोड़	प्रभारित	दत्तमत	जोड़
						(₹ करोड़ में)
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	*5,739.12*	38,992.51	44,731.63	*4,913.38*	39,511.88	44,425.26
व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	*12.94*	5,616.84	5,629.78	*24.26*	6,004.63	6,028.89
लोक ऋण,ऋण और अग्रिम,अन्तर्राज्यीय बदोबस्त/हस्तांतरण तथा आकस्मिक निधि को अन्तरण (क)	*7,895.87*	106.96**	8,002.83	*10,135.79*	110.57	10,246.36
जोड़	***13,647.93***	**44,716.31**	**58,364.24**	***15,073.43***	**45,627.08**	**60,700.51**
(क) आंकड़े निम्नवत रूप से निकाले गए हैं						
ड. लोक ऋण						
राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	*7,788.24*	...	7,788.24	*10,032.86*	...	10,032.86
केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	*107.63*	…	107.63	*102.93*	...	102.93
च. ऋण और अग्रिम *						
आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	...	98.35	98.35	...	103.82	103.82
सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	...	8.60	8.60	...	6.76	6.76
छ. अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त						
अन्तर्राज्यीय बंदोबस्त	…	…	…	…	…	…
ज. आकस्मिक निधि को अन्तरण						
आकस्मिक निधि को अन्तरण	…	…	…	…	…	…
जोड़ (क)	***7,895.87***	**106.95**	**8,002.82**	***10,135.79***	**110.58**	**10,246.37**

(i) वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय से कुल व्यय की *प्रतिशतता* निम्नलिखित है।

वर्ष	कुल व्यय के *प्रतिशतता*	
	प्रभारित	दत्तमत
2022-23	*24.83*	75.17
2023-24	*23.38*	76.62

* विस्तृत लेखा के बारे में अधिक जानकारी हेतु विवरण संख्या 18 देखें।

** आंकड़ों में अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

पूर्ण आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त खातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को #	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-			
सकल पूंजीगत व्यय			
सामान्य सेवाएं			
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	...	0.08
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	689.26	76.41	765.67
लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	6.59	...	6.59
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	1,920.88	269.77	2,190.65
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	124.40	10.53	134.93
जोड़-सामान्य सेवाएं	**2,741.21**	**356.71**	**3,097.92**
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	4,686.14	300.30	4,986.44
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,300.59	295.67	3,596.26
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	10,833.84	1,109.03	11,942.87
सूचना एवं प्रचार	11.77	0.47	12.24
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसख्यकों का कल्याण	231.28	1.27	232.55
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	146.29	35.96	182.25
अन्य सामाजिक सेवाएं	17.45	0.91	18.36
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**19,227.36**	**1,743.61**	**20,970.97**
आर्थिक सेवायें			
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	2,705.30	68.23	2,773.53
ग्रामीण विकास	146.40	24.56	170.96
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	6,652.39	385.48	7,037.87
ऊर्जा	3,552.37*	23.50	3,575.87
उद्योग तथा खनिज	884.37	72.09	956.46
परिवहन	25,162.49	2,680.40	27,842.89
सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,438.22	335.87	2,774.09
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**41,541.54**	**3,590.13**	**45,131.67**
जोड़-सकल पूंजीगत परिव्यय	**63,510.11**	**5,690.45**	**69,200.56**

* वर्ष 2022-23 के वित्त लेखों में दर्शाए गए 31 मार्च 2023 तक के शेष से भिन्नता प्रारंभिक वर्षों में किए गए विनिवेश के समायोजन के कारण है।

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को #	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-क्रमश			
पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां			
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	0.24	...	0.24
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	0.75	...	0.75
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**0.99**	**...**	**0.99**
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	1,382.11	60.66	1,442.77
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	567.69	...	567.69
उद्योग तथा खनिज	0.15	...	0.15
परिवहन	70.80	...	70.80
जोड़-आर्थिक सेवायें	**2,020.75**	**60.66**	**2,081.41**
जोड़-पूंजीगत परिव्यय की वसूलियां	**2,021.74**	**60.66**	**2,082.40**
कुल जोड़- पूंजीगत परिव्यय	**61,488.37**	**5,629.79**	**67,118.16**
ऋण तथा अग्रिम-			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
सामाजिक सेवाएं			
शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10.15	...	10.15
जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	16.02	(-)0.11	15.91
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंस्यकों का कल्याण	3.25	...	3.25
सामाजिक कल्याण तथा पोषण	1.07	...	1.07
आर्थिक सेवाएं			
कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	162.88	(-)21.50	141.38
ग्रामीण विकास	0.18	...	0.18
ऊर्जा	7,743.37	98.35	7,841.72
सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.10	...	0.10
उद्योग तथा खनिज	88.50	(-)0.02	88.48

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को #	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
पूंजीगत तथा अन्य व्यय-समाप्त			
ऋण तथा अग्रिम-समाप्त			
विभिन्न सेवाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम-			
आर्थिक सेवायें			
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	26.09	2.85	28.94
विविध ऋण	1.02	...	1.02
जोड़-ऋण तथा अग्रिम	**8,052.63**	**79.57**	**8,132.20**
आकस्मिक निधि में स्थानांतरण	...	...	...
जोड़-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	**69,541.00**	**5,709.36**	**75,250.36**
घटाएं- आकस्मिकता निधि से अशंदान	…	…	…
कुल-पूंजीगत और अन्य व्यय	**69,541.00**	**5,709.36**	**75,250.36**
निधि के प्रमुख स्त्रोत			
ऋण-			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	55,975.16	5,464.13	61,439.29
केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	7,388.31	1,541.52	8,929.83
लघु बचते, भविष्य निधियां, आदि	17,682.25	1,655.33	19,337.58
जोड़-ऋण	**81,045.72**	**8,660.98**	**89,706.70**
अन्य दायित्व-			
आकस्मिकता निधि	5.00	...	5.00
आरक्षित निधियां	1,934.72	345.05	2,279.77
जमा तथा अग्रिम	3,608.49	37.48	3,645.97
उचन्त तथा विविध (सरकारी लेखे तथा रोकड शेष निवेश लेखा को संवृत राशि के अतिरिक्त)	224.94	40.34	265.28
प्रेषण	493.96	126.29	620.25
जोड़-अन्य दायित्व	**6,267.11**	**549.16**	**6,816.27**
जोड़-ऋण तथा अन्य दायित्व	**87,312.83**	**9,210.14**	**96,522.97**
अन्य प्राप्तियां-			
घटाएं- रोकड़ शेष	(-)89.33	131.77	42.44
घटाएं- निवेश	3,645.37	(-)2,187.37	1,458.00
निधियों का निवल प्रावधान	**83,756.79**	**11,265.74**	**95,022.53**

12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए स्त्रोत व निधियों के प्रयोग की विवरणी

शीर्ष	1 अप्रैल 2023 को #	वर्ष 2023-24 के दौरान	31 मार्च 2024 को
1	2	3	4
			(₹ करोड़ में)
अन्य प्राप्तियां-			
राजस्व (+) आधिक्य/(-) घाटा		(-)5,558.59	
जमा-सरकारी लेखे को संवृत राशि	…	…	…
निधियों का निवल प्रावधान		**5,707.15**	
प्रगतिशील कुल पूंजीगत और अन्य व्यय		**75,250.35**(क)	
निधि का प्रगतिशील प्रमुख स्त्रोत		**95,022.53**(ख)	
अंतर		**(-)19,772.18***	

(क) पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णाक के बीच ₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

(ख) पूर्णांकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णाक के बीच ₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

* ₹ (-)19,772.18 करोड़ का अंतर,नीचे दिए गए हैः

1.राजस्व घाटा		
(i) 31 मार्च 2023 तक राजस्व घाटा	(-)14,262.18*	
(ii) चालू वर्ष घाटा(-)/आधिक्य(+)	(-)5,558.59	(-)19,820.77
(iii) 31 मार्च 2023 तक पूंजीगत प्राप्तियां	68.16	
(iv) वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां	2.20	70.36
2.राशियों का निम्न समाधान		
(i) अंतर्राज्यीय समाधान	(-)1.43	
(ii) कूल राशि का "7999-आकस्मिकता निधि को विनियोजन"	(-)5.00	
(iii) विविध सरकारी लेखे	(-)7.84	
(iv) प्रोफार्मा द्वारा कुल राशि का समायोजन	(-)7.50	(-)21.77
कुल जोड़-		**(-)19,772.18**

* 31 मार्च 2023 तक राजस्व घाटा ₹ 14,298.18 करोड़ के स्थान पर ₹ 14,262.18 लिया गया है,जो लिपिकीय गलती के कारण था।

पूर्ण आंकड़ों को पूर्णाकित करने के कारण वर्ष 2022-23 के लिए वित्त खातों में दर्शाए गए आंकड़ों से ₹ 0.01/₹0.02 लाख का अन्तर हो सकता है।

13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

(क) **31 मार्च 2024 को शेष राशियों का सारांश निम्न प्रकार से है:-**

नामे शेष	लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
		समेकित निधि	**(₹ करोड़ में)**
86,890.34 (क)	क से घ,छ, ज, तथा ठ का भाग (मुख्य शीर्ष 8680 केवल)	सरकारी लेखा	
	ड.	**लोक ऋण**	
		(i) राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	61,439.29
		(ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम	8,929.83*
8,132.18*	च-	**ऋण एवं अग्रिम**	
	छ-	**आकस्मिकता निधि**	
		आकस्मिकता निधि	5.00
	झ-	**लोक लेखा**	
		लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	19,337.58
	ञ-	**आरक्षित निधि**	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	1,969.07
		(ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	310.70
		सकल शेष	
	ट-	**जमा और अग्रिम**	
		(i) ब्याज वाली जमा राशियां	16.50
		(ii) ब्याज रहित जमा राशियां	3,629.99
		(iii) अग्रिम	(-)0.51
	ठ-	**उचन्त और विविध**	
1,458.00		(i)निवेश	
		(ii) अन्य मदे (निवल)	265.28
	ड-	**प्रेषण**	
		(i) एक ही लेखा अधिकारी को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच रोकड़ प्रेषण व समायोजन	620.18
		(ii) अर्न्तसरकारी समायोजन लेखे	0.07
42.44 (ख)	ढ-	**रोकड़ शेष**	
0.02		खातें को पूर्णांकित करने पर	…
96,522.98		**जोड़**	**96,522.98**

(क) इन आंकड़ो को समझने के लिए कृपया (ख) पृष्ठ संख्या 41 (खण्ड-I) देखे।

(ख) रोकड.-शेष में शामिल"रिजर्व बैंक के पास जमां" से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए आंकडों तथा लेखाओं में प्रदर्शित किए गए आंकडों के बीच अन्तर था। इस विसंगति का समाधान किया जा रहा है ।

* पूर्णांकित के विभिन्न स्तर के कारण विवरणी 6 और 7 क के आंकड़ों से अन्तर है।

13.समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अधीन शेषों का सार

ख. सरकारी लेखाः- सरकारी लेखों में अपनाई गई बही खाता पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत और अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत बुक किए गए वे लेखे जिनके बकायों को वर्ष-प्रतिवर्ष अग्रेषित नहीं किया जाता है,उन्हें "सरकारी लेखा" नामक एकल शीर्ष के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया इस प्रकार के सभी लेन-देनों के संचित परिणामों को प्रकट करता है। इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा और अग्रिम, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखाओं के अतिरिक्त), प्रेषण और आकस्मिक निधि आदि के अन्तर्गत बकायों को जोड़ कर वर्ष के अन्त में रोकड़ अन्त शेष निकाला जा सके और उसे प्रमाणित किया जा सके।

सारांश के अन्य शीर्ष सरकारी बहियों के उन लेखा शीर्षो के अन्तर्गत बकायों को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सरकार का प्राप्त किए गए धन को लौटाने का दायित्व है या जहां सरकार अदा की गई रकम वसूल करने का अधिकार रखती है और ऐसे लेखाओं के शीर्ष भी सम्मिलित हैं, जो प्रेषण से सम्बन्धित लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले जाते हैं।

यह जानना आवश्यक है कि ये बकाए सरकार की वित्तीय स्थिति के सम्पूर्ण अभिलेख नहीं कहे जा सकते क्योंकि ये राज्य की सारी प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों जैसे भूमि, भवन, संचार साधन आदि और न ही उपचित देयों या बकाया दायित्वों, को सम्मिलित नहीं करते जिनका सरकार द्वारा अपनाई गई रोकड़ लेखा पद्धति के अन्तर्गत लेखांकन नहीं किया जाता है।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे डाली गई शुद्ध राशि निम्नलिखित प्रकार से हैः-

(₹ करोड़ में)

नामे	विवरण	जमा
75,704.16	क. 1 अप्रैल 2023 को सरकारी लेखे में नामे शेष	
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	39,173.04
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	2.20
44,731.63	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
5,629.78	ड. व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
	च. उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखा)	
	छ. 31 मार्च 2024 को सरकारी लेखों में नामे शेष	86,890.34
0.01	ज. खातें को पूर्णाकित करने पर	…
1,26,065.58*	**जोड़**	**1,26,065.58**

टिप्पणीः- कई मामलों में अन्तिम शेषों में असमायोजित भिन्नताएं है जैसा कि प्राप्ति, वितरण और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे की विवरणियों (विवरणी-16) में बताया गया है व लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालय के इस उद्देश्य से बनाए गए रजिस्टरों अथवा रिकार्ड में दर्शाया गया है। विसंगतियों के समाधान के लिए पग उठाये जा रहे है।
अन्तिम शेष प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण और सहमति हेतु प्रेषित किये जाते है। अधिकतर मामले में सहमतियां प्राप्त नहीं होती।

शेष राशि को सत्यापन और स्वीकृति के लिए हर साल संबधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है। बड़ी संख्या में मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हूई है।

* पूर्णाकित कुल योग और संगत पूर्णांकित पूर्णाक के बीच ₹ 0.01 लाख का अन्तर है।

वर्ष 2023-24 के लिए वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांशः

(i) प्रतिवेदन इकाईः

ये लेखे हिमाचल प्रदेश सरकार के लेनदेन को प्रस्तुत करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों और अदायगी लेखों को 18 कोषागारों, 93 लोक निर्माण प्रभागों (74 भवन एवं सड़कों, 08 राष्ट्रीय राजमार्ग, 06 यांत्रिक, 05 विद्युत), 69 जल शक्ति विभाग (एक गैर-अधिसूचित प्रभाग को छोड़कर) द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक खातों और भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह के आधार पर संकलित किया गया है। वर्ष के अंत में कोई भी लेखा बहिष्कृत नहीं किया गया है।

(ii) प्रतिवेदन अवधिः

इन लेखों की प्रतिवेदन अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है।

(iii) प्रतिवेदन मुद्राः

हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखे भारतीय रूपये (₹) में बताए गए हैं।

(vi) लेखों के स्वरूपः

भारत के संविधान के अनुच्छेद-150 के अधीन, संघ एवं राज्य के लेखों को उसी प्रारूप में रखा जाता है जैसा कि भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करें। अनुच्छेद-150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का व्यापक अर्थ है जिसमें न केवल लेखों को रखे जाने के विस्तृत स्वरूप का निर्धारण ही शामिल है अपितु लेनदेनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उचित लेखा-शीर्षो के चयन के आधार को भी सम्मिलित किया गया है।

(v) बजट और वित्तीय प्रतिवेदन का आधारः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार, अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, एक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट कहा जाता है) वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अनुदान/विनियोग के रूप में विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। बजट को बिना वसूली और प्राप्तियों के सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी में समायोजित करने की अनुमति होती है। बजट और खातों के शीर्षो से संबंधित सभी अनुदान/विनियोग, जिनकी शेष राशि अग्रेषित नहीं की जाती है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाती है।

बजट और लेखोंः राज्य के बजट और लेखे दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के नकद आधार और वर्गीकरण के समान आधार का पालन करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित प्रमुख् और लघु शीर्षो की सूची के अनुसार लेखों को लघु शीर्षों के स्तरतक वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय द्वारा सहमति के अनुसार लघु शीर्षो के नीचे वर्गीकरण किया जाता है।

एक अलग बजट तुलना विवरण विनियोग लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/विनियोगों की तुलना में वास्तविक संवितरण का प्रतिनिधित्व करता है। विनियोग खाते सकल आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्त खातों में शुद्ध आंकड़ों का मिलान करने के लिए विनियोग खातों में एक समाधान विवरण शामिल किया जाता है।

नकदी आधारः लेखे वास्तविक नकद प्राप्तियों और प्रतिवेदन अवधि के दौरान संवितरण का प्रतिनिधित्व करते हैं,ऐसे पुस्तकीय समायोजन के अपवाद के साथ जो अधिकृत हैं। वित्त लेखाओं में प्राप्तियां और संवितरण निवल वसूली, कटौती और धन वापसी के शुद्ध आधार पर हैं।

पुस्तकीय समायोजनः पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेनदेन है जो लेखों में समायोजन/समाधान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन लेखा प्रदान करने वाली इकाइयों के स्तर पर होते हैं, जैसे, कोषागार, डिवीजन, आदि, वेतन से राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखे में कटौती और वसूली के समायोजन के लिए समेकित निधि और लोक लेखा के मध्य धन के हस्तांतरण के लिए शून्य बिल आदि।

पुस्तकीय समायोजन महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय में भी किया जाता है। इनमें, अन्य के साथ, संचित निधि (जैसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष, निक्षेप निधि, आदि) को नामे करके लोक लेखे में निधियों के निर्माण और योगदान के लिए बुकिंग शामिल है, संचित निधि को नामे करके लोक लेखे में लेखों के आरक्षित निधि/जमा शीर्षों को जमा करना सामान्य भविष्य निधि और राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन प्रमुख शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान को नामे करके और संबंधित प्रमुख शीर्षों को लोक लेखा में जमा करना; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन, आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति, आदि।

पूंजीगत और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण: पूंजीगत व्यय, स्थायी प्रकृति की वास्तविक संपत्ति (सरकारी स्थापना में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य पाठयक्रम में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। रखरखाव, मरम्मत,अनुरक्षण और काम करने के खर्चों पर बाद के शुल्क, जो एक चालू क्रम में संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेखों में पूंजीगत और राजस्व व्यय अलग-अलग दिखाए जाते हैं।

भौतिक एवं वित्तीय संपत्तियों और दायित्व: भौतिक संपत्तियां और वित्तीय संपत्तियां (जैसे निवेश,ऋण और सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम, आदि) साथ ही दायित्व जैसे, ऋण आदि को ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है। भौतिक संपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है और वित्तीय संपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है। भौतिक परिसम्पत्तियों में हुई क्षतियों को उनके समाप्ति काल पर खपाया या मान्य नहीं किया गया है।

सहायता अनुदान: आई.जी.ए.एस. 2 के अनुपालन में-सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण, नकद में सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, भले ही इसमें अनुदानग्राही द्वारा संपत्ति का निर्माण शामिल हो, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर सभी अनुदान प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवरण वित्त लेखों के विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है। वस्तुओं के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

ऋण और अग्रिम: आई.जी.ए.एस.3 के अनुपालन में-सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में प्रकट किया गया है। 31 मार्च 2024 को विवरणी में दर्शाया गया अंतिम शेष राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

पूर्व अवधि समायोजन: आई.जी.ए.एस 4-पूर्व अवधि समायोजनके अनुपालन में, राज्य सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समायोजन करती है और ऐसी जानकारी का खुलासा करती है, जो पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित होती है और सरकार में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता वाली प्रविष्टियों को शामिल करती है, निर्णयों जो पहले के वर्षों के दौरान वर्तमान शेष और प्रगतिशील राशियों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके लिए खाते बंद कर दिए गए हैं । वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ।

सेवानिवृत्ति लाभ: प्रतिवेदन अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति लाभों को पे-एज़-यू-गो आधार के अनुसार लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन पुरानी पैंशन योजना के तहत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पैंशन देयता, यानि, अतीत और वर्तमान सेवा के लिए उसके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता मुख्य शीर्ष-2071 के अंतर्गत लेखों में शामिल नहीं किया गया है। कर्मचारियों के प्रति सरकार की अनुमानित भविष्य की पैंशन देनदारी परिशिष्ट-XII में दर्शाई जानी है।

(vi) **पूर्णांकन:** विवरण आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जो सबंधित विवरणों के शीर्ष पर दर्शाए गए अनुसार ₹ लाख में और ₹ करोड़ में पूर्णांकित होते हैं। विभिन्न कथनों में निरपेक्ष आंकड़ों के साथ-साथ पूर्णांकित अंको के सम्बन्ध में जहां भी अंतर होता है, वह आंकड़ों को पूर्णांकन के कारण होता है।

(vii) रोकड़ नकद शेषः

लेखों में रिपोर्ट किए गए रोकड़ शेष एक वर्ष के 31 मार्च के अंत में राज्य का शेष है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के लेखे में दर्ज किया गया है। रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से जुडे रोकड़ लेनदेन के बाद शेष राशि को दर्शाता है। पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते क्योंकि वे गैर-नकद लेनदेन हैं। वित्त लेखों में दर्ज किया गया रोकड़ शेष भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तक के साथ समाधान के अधीन है।

(viii) आकस्मिक और प्रतिबद्ध देनदारियों का प्रकटीकरणः

आई.जी.ए.एस.1: 'सरकारों द्वारा दी गई गारंटी' 'गारंटियों के क्षेत्र-वार विवरण विवरणी 9 में प्रकट किए गए हैं और क्षेत्र और वर्ग-वार विवरण राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वित्त लेखों के विवरणी 20 में दर्शाए गए हैं।

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज किया जाता है और न ही प्रतिबद्धता के प्रतिदायित्व लेखों में मान्यता प्राप्त है। लेकिन, यह वित्त लेखों के परिशिष्ट XII के तहत अपनी भविष्य की प्रतिबद्धताओं का खुलासा करता है।

(ix) पास-थ्रू लेनदेनः

प्राप्तियों की प्रकृति में पास-थ्रू लेनदेन राज्य द्वारा एकत्र की गई, लेकिन अन्य इकाई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता वित्त लेखों के टिप्पणियों में प्रकट की जाती है। इनमें राज्य कैम्पा कोष में वर्ष के संग्रह का 10 *प्रतिशत* सालाना आधार पर राष्ट्रीय कोष में हस्तांतरित करना, रॉयल्टी का दो प्रतिशत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को हस्तांतरित करना, श्रम उपकर एकत्रित कर सरकारी खाते में रखना और 'भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड' को हस्तांतरित करना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्य को प्राप्त केंद्रीय हिस्सेदारी का हस्तांतरण, केंद्रीय क्षेत्र एकल नोडल एजेंसी के लिए योजनाएं, सार्वजनिक खाते में नामित प्रमुख शीर्ष सेना मित फंड मैनेजर को एन.पी.एस योगदान का हस्तांतरण आदि शामिल हो सकता है।

2. लेखांकन ढ्रांचे का अनुपालनः

(i) मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को फ्रीज न करनाः

मौजूदा प्रथा के अनुसार, एक बार राज्य द्वारा बंद किए गए और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को सौंपें गए लेखों को किसी भी बदलाव के लिए नहीं खोला जाना चाहिए, क्योंकि इस से मासिक लेखों का गलत प्रतिनिधित्व होगा। मासिक लेखों को बंद करने के बाद कोषागारों द्वारा लेखों को फ्रीज न करने से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय को मासिक लेखे जमा करने के बाद डेटा संशोधन की गुंजाइश हो सकती है और प्रधान महालेखाकार कार्यालय और राज्य सरकार के बीच आंकड़े/डेटा का बेमेल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मासिक लेखों को बंद कर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में भेजने के बाद मासिक लेखों को फ्रीज करने का प्रावधान है।

(ii) अनाधिकृत शीर्षो का संचालनः

वर्ष 2023-2024 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पूंजीगत अनुभाग के तहत एक अनाधिकृत उप प्रमुख शीर्ष (प्रमुख शीर्ष 4801 के तहत 00) के तहत बजट प्रावधान प्रदान किया और इस शीर्ष में ₹ 5.42 करोड़ का व्यय किया। सुधार के लिए मामला राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है।

(iii) सलाह के बिना नए उप शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलनाः

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार राज्य के लेखों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सलाह के अनुसार रखा जाना है। वर्ष 2023-24 के दौरान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) आवश्यकतानुसार की सलाह या सूचना के बिना बजट में कोई नया उप शीर्ष नहीं खोला है।

(iv) बजट प्रावधानों के चित्रण में विसंगति एवं गलत वर्गीकरणः

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में सभी लेखा मदों के सम्बन्ध में व्यय का सही वर्गीकरण दर्शाया गया है।

(v) बिना बजट के व्ययः

वर्ष 2023-24 के दौरान बिना बजट प्रावधान के ₹ 94.36 करोड़ की राशि खर्च की गई। जिसमें से बिना बजट प्रावधान के एक मुख्य मद में ₹ 27.85 करोड़ का व्यय किया गया। इसके अलावा,वर्ष के दौरान चार मुख्य शीर्षों में ₹ 0.55 करोड़ के पुनर्विनियोजन के मुकाबले ₹ 66.51 करोड़ का व्यय किया गया,जहां कोई बजट प्रावधान (न तो मूल और नहीं पूरक) उपलब्ध थे।

3. समेकित निधिः

(i) माल एवं सेवा करः

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य का माल एवं सेवा कर संग्रहण वर्ष 2022-23 में ₹ 5,259.21 करोड़ की तुलना में ₹ 80.68 करोड़ (1.53 *प्रतिशत*) की वृद्धि के साथ ₹ 5,339.89 करोड़ था। इसमें आई.जी.एस.टी.के ₹ 61.20 करोड़ के अग्रिम आवंटन का समायोजन शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर के तहत राज्य को सौंपे गये शुद्ध आय के अपने हिस्से के रूप में ₹ 2,845.13 करोड़ प्राप्त हुए। माल एवं सेवा कर के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 8,185.02 करोड़ थी। राज्य को वर्ष 2023-24 के दौरान माल एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ने ₹ 88.00 करोड़ का गैर-ऋण मुआवजा प्राप्त किया।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 14 में उपलब्ध है।

(ii) राजस्व एव पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरणः

वर्ष 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी व्यय का सही ढ़ंग से बजट और बुक किया।

(iii) मुख्य नियन्त्रक अधिकारियों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मध्य प्राप्ति तथा व्यय और राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का मिलानः

सभी नियन्त्रक अधिकारियों को (हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 119(2) के अनुसार) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा दर्ज आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां ₹ 39,173.05 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) और राजस्व व्यय ₹ 44,731.63 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 *प्रतिशत*) और पूंजीगत व्यय ₹ 5,629.79 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम ₹ 106.95 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 100 *प्रतिशत*) की राशि का मिलान किया गया।

इसकी तुलना में, पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान,राजस्व प्राप्तियां ₹ 38,089.50 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 100 *प्रतिशत*) और राजस्व व्यय ₹ 44,425.26 करोड़ (कुल राजस्व व्यय का 100 *प्रतिशत*) और पूंजीगत व्यय ₹ 6,028.88 करोड़ (कुल पूंजीगत व्यय का 100 *प्रतिशत*) का मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 110.58 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल ऋण और अग्रिम का 100 *प्रतिशत*) की राशि का मिलान किया गया।

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय और 800-अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंगः

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियां का संचालन केवल तब किया जाना चाहिये जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं करवाया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान,19 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत, ₹ 530.09 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 50,361.42 करोड़) का 1.05 *प्रतिशत,* लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, 28 मुख्य लेखा शीर्ष के तहत ₹ 654.61 करोड़ कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 50,454.15 करोड़) का 1.30 *प्रतिशत,* लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत लेखों में वर्गीकृत किया गया था।

इसी प्रकार, 47 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,425.22 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 39,173.05 करोड़) का 6.19 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। पिछले वर्ष, 45 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 2,277.32 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,089.50 करोड़) का 5.98 प्रतिशत, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 14,15,तथा 16 का संदर्भ है।

(v) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.)/व्यक्तिगत खाता बही (पी.एल.) खातों में धन राशि का हस्तांतरणः

पी.डी. खाते नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उददेश्यों के लिए व्यय करने में सक्षम बनाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान,राज्य की समेकित निधि से पी.डी.खातों में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में पी.डी. खाते हैं, लेकिन वे राज्य की समेकित निधि के अलावा अन्य स्रोतो से संबंधित हैं, जैसे शेरिफ पेटी खाता।

(vi) असमायोजित सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलः

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 183 (v) में परिकल्पना की गई है कि सरकारी खजाने से तब तक कोइ पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक की तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो। आकस्मिक परिस्थितयों में, आहरण और संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ) को सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धन राशि आहरित करने के लिए अधिकृत किया जाता है। हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम 2017 के नियम 187 के अनुसार, डी.डी.ओ. को एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर युक्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.सी.) बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 5.93 करोड़ की राशि के कुल 368 ए.सी. बिल निकाले गए, जिनमें से ₹ 0.04 करोड़ (0.67 *प्रतिशत*) की राशि के 31 ए.सी बिल मार्च 2024 में निकाले गए। 31 मार्च 2024 तक समायोजन के लिए मुख्य शीर्ष -2851 (ग्रामीण तथा लघु उद्योग) से सम्बन्धित ₹ 0.12 करोड़ की राशि के 01 ए.सी बिल के संबंध में डी.सी.सी. बिल प्राप्त नहीं हुए थे।

समायोजन के लिए लंबित असमायोजित बिल का विवरण नीचे दिया गया है -

वर्ष	**असमायोजित ए.सी. बिल/ई-एडंवास/अस्थायी एडवास की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
2022-23 तक *	शून्य	शून्य
2023-24	01	0.12
कुल	**01**	**0.12**

** हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 के दौरान ए.सी. बिलों की पहचान का तंत्र स्थापित किया गया था, इसलिए वर्ष 2022-23 से पहले का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।*

(vii) सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त नहीं होनाः

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 157 के अनुसार, अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान या संगठन को सहायता अनुदान का उपयोग के बाद सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग पत्र क्रमांक 1-3/73-फिन (रजि.), दिनांक 28 जनवरी 1976 के अनुसार पहले दिये गए अनुदान के उचित उपयोग का तय समय में यानि अनुदान की अवधि से एक वर्ष के दौरान प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले संस्थानों को आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए। यू.सी. प्रस्तुत ना करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक न पहुंची हो।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 22,910 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 10,089.45 करोड़ 31 मार्च 2024 तक की अवधि के देय थे (31 मार्च 2023 तक निकाले गए जी.आई.ए.बिल)। इनमें से 19,920 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 7,294.22 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। 31 मार्च 2024 को लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई हैः

वर्ष	**प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**
2022-23 तक*	1,648	1,050.63
2023-24*	1,342	1,744.60
कुल	**2,990 #**	**2,795.23#**
वर्ष	जमा करने की नियत तारीख से पहले जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	
2023-24	5	0.89

*ऊपर उल्लिखित वर्ष "नियत वर्ष'' से संबंधित है, अर्थात, वास्तविक निकासी के एक वर्ष के बाद।
इनमें सी.एस.एस. से संबंधित ₹ 579.47 करोड़ की 128 बकाया यू.सी शामिल हैं।
इसमें वित्त लेखों के विवरणी 10 तथा परिशिष्ट-III के संदर्भ है।

(viii) ब्याज समायोजनः

सरकार ञे-आरक्षित निधियां (क. सब्याज आरक्षित निधियां) और ट-जमा और अग्रिम (क.सब्याज जमा राशियां) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है, और इस उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उप-प्रमुख शीर्ष लेखा के प्रमुख और लघु शीर्षों की सूची में प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गये ब्याज और इन निधियों/जमाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

निधि/जमा	**1 अप्रैल, 2023 को अथ शेष**	**ब्याज की गणना के लिए आधार**	**ब्याज देय**	**ब्याज भुगतान**	**ब्याज कम भुगतान**
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पैंशन योजना	17.39	सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज के अनुसार 7.10 *प्रतिशत* की दर से ब्याज की गणना की जाती है	1.19	शून्य	1.19
एस.डी.आर.एफ.	55.55	ब्याज की गणना 8.50 *प्रतिशत* की दर से की जाती है [2023-24 के दौरान डब्ल्यू.एम. ए.की औसत दर (6.50) प्लस 2 *प्रतिशत*]	11.36	शून्य	11.36
एस.डी.एम.एफ.	42.04		9.71	शून्य	9.71
कुल			**22.26**	**शून्य**	**22.26**

₹ 22.26 करोड़ की ब्याज राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय ₹ 22.26 करोड़ कम बताया गया।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15, 21 तथा 22 के आंकड़ों का संदर्भ है।

(ix) सरकार द्वारा दी गई गांरटियांः

हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम 2005,(2011 में संशोधित,)के अनुसार कुल बकाया सरकारी गांरटी पिछले वित्तीय वर्ष की राज्य राजस्व प्राप्तियों के 40 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होगी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा गांरटीकृत राशि ₹ 731.09 करोड़ थी। 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,744.81 करोड़ की बकाया गांरटी, वर्ष 2022-23 की राज्य राजस्व प्राप्तियों (₹ 38,089.50 करोड़) का 4.58 *प्रतिशत* बनती है और निर्धारित सीमा के भीतर है।

वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 168 के अन्तर्गत, सरकार गांरटी जारी करने के बाद गारंटीकृत राशि का 1.00 *प्रतिशत* गारंटी शुल्क और 0.20 *प्रतिशत* प्रतिबद्धता शुल्क वसूल करेगी।

2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को कोई गांरटी कमीशन नहीं मिला, हालांकि वर्ष के दौरान ₹ 731.09 करोड़ की गांरटी दी गई।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी 9,14 और 20 में उपलब्ध है।

(x) पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्ययः

राज्य सरकार द्वारा पारिस्थिति की और पर्यावरण के प्रति किए गए व्यय को वित्त लेखों में विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के स्तर तक दर्शाया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमुख शीर्षों 2402, 2406 और 3435 के तहत ₹ 951.41 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले ₹ 715.67 करोड़ खर्च किए। पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रमुख शीर्ष 2402, 2406 और 3435 के तहत ₹ 1,069.13 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले ₹ 814.55 करोड़ खर्च किए थे।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15 और 16 का संदर्भ है।

(xi) अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं/आपदा से सम्बन्धित व्यय:

वर्ष 2023-24 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य शीर्ष 2245 के तहत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं से संबंधित राहत उपायों पर ₹ 1,239.18 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹ 622.42 करोड़) खर्च किए। यह पूरी रकम राजस्व व्यय से सम्बन्धित थी।

सरकार को इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार से ₹ 1,190.85 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें अनुदान/केंद्रीय सहायता आदि शामिल हैं, जिसका लेखा-जोखा मुख्य शीर्ष 1601 के तहत किया गया है ।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 2,4,5,14,15 और 16 का संदर्भ है।

(xii) केंद्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालना:

तेरहवें वित्त आयोग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के फरवरी 2012 में सिफारिशों के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रगत प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2010 तक विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार को दिए गए ऋणों (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए ऋणों के अलावा) को बट्टे खाते में डाल दिया था। वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किए गए मूलधन और ब्याज की अधिक चुकौती को समायोजित करने और वित्त मंत्रालय को भविष्य में भुगतान के खिलाफ इसके कार्यान्वयन की अनुमति दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2024 के अंत तक ₹ 15.58 करोड़ (मूलधन ₹ 7.72 करोड़, ब्याज ₹ 7.86 करोड़) का अतिरिक्त पुनर्भुगतान किया था, जिसमें से वित्त मंत्रालय ने अब तक ₹ 12.31 करोड़ का समायोजन किया है।

इसमें वित्त लेखों की विवरणी 17 का संदर्भ है।

(xiii) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण:

31 मार्च 2024 तक छः ऋणी संस्थाओं से जुड़े ₹ 96.73 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में, मूलधन की वसूली पिछले कई वर्षों के दौरान नहीं हुई है जिसमें वर्ष 1985-86 से लंबित ऋण भी शामिल हैं।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) वार्षिक रूप से सत्यापन ओर स्वीकृति के लिए ऋण शेष राशि (जहां प्रधान महालेखाकार द्वारा विस्तृत लेखों का रखरखाव किया जाता है) को ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है। छः ऋण दाताओं में से पांच ने बकाया राशि की पुष्टि की है। शेष राशि के मिलान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 7 और 18 *का संदर्भ है।*

(xiv) प्रतिबद्ध देयताएं:

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के उपचय आधार की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि,चूंकि बदलाव चरणों में होगा, लेखांकन की उपचय आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विवरण के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को रोकड़ लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ा जाना आवश्यक है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी देनी होती है और इसे वित्त लेखा खंड-II के परिशिष्ट-XII में दर्शाया गया है।

(xv) केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.)पर व्यय :

वर्ष के दौरान, 31 मार्च 2024 तक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत दर्ज किया गया कुल व्यय ₹ 5,503.13 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 4,080.42 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 1,422.71 करोड़) है, जिसमें केंद्रीय हिस्से से व्यय (₹ 3,582.45 करोड़) और राज्य के हिस्से का व्यय (₹ 1,920.68 करोड़*) शामिल है।

** राज्य के हिस्से में भारत सरकार से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना अनुदान से वित्त पोषित ₹1,181.95 करोड़ का व्यय शामिल है।*

इसमें वित्त लेखों के विवरणी 15 और 16 का संदर्भ है।

(xvi) केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थियों को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरणः

सी.जी.ए. के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य में, लाभार्थियों (एन.जी.ओ, केंद्र सरकार संगठन, वैधानिक संगठन, शहरी/ग्रामीण निकाय, लाभार्थी, आदि) सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 1,946.42 करोड़ प्राप्त हुए। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 2022-23 की तुलना में 33.76 *प्रतिशत* घट गया है (2022-23 में ₹ 2,938.36 करोड़ से 2023-24 में ₹ 1,946.42 करोड़)।

विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VI में हैं।

(xvii) राज्य सरकार की बजट से बाहर की देयताए, निहित सब्सिडी और नीतिगत निहितार्थों के कारण राजकोषीय बोझः

ऑफ-बजट उधार लेना सरकार का दायित्व है क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय को सूचित किया कि राज्य ने 2023-24 के दौरान कोई भी ऑफ-बजट उधार नहीं लिया है।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने उदय के तहत जारी बांड पर ₹ 289.05 करोड़ का मूलधन और ₹ 205.98 करोड़ का ब्याज चुकाया है।

2023-24 में राज्य द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) को वापस लेने से भविष्य में राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

(xviii) एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.)को धन राशि का हस्तांतरणः

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस./एफ.सी.डी./2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के तहत धन जारी करने और एकल नोडल एजेंसी के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सी.एस.एस के लिए, एस.एन.ए. की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनूसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ जाती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2023 के अनुसार,राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्य हिस्सेदारी को एस.एन.ए. खाते में स्थानांतरित कर देगी। एस.एन.ए. खाते में केंद्रीय हिस्सेदारी के हस्तांतरण में 30 दिनों से ज्यादा की देरी पर 01-04-2023 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दिनों की संख्या पर ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

पी.एफ.एम.एस.की एस.एन.ए. 01 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान खजाने में केंद्राश के रूप में ₹ 3,824.29 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक, सरकार ने ₹ 3,377.32 करोड़ केंद्र का हिस्सा और ₹ 587.49 करोड़ राज्य का हिस्सा एस.एन.ए. को हस्तांतरित किया। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एस.एन.ए. से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए थे। एस.एन.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक, एस.एन.ए.के बैंक खातों में ₹ 1,024.09 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

हालाँकि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि राज्य को अपने ट्रेजरी खाते में वर्ष के दौरान केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 3,809.02 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 तक,सरकार ने ₹ 3,205.57 करोड़ केंद्र का हिस्सा और ₹ 566.97 करोड़ राज्य का हिस्सा एस.एन.ए. को हस्तांतरित किया। ₹ 3,772.54 करोड़ का कुल हस्तांतरण फुल वाउच्ड आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है। 31 मार्च 2024 तक एस.एन.ए. के बैंक खातों में ₹ 1,093.96 करोड़ बिना खर्च किए पड़े है।

खातों में दर्ज राशि और राज्य सरकार द्वारा सूचित राशि और एस.एन.ए. रिपोर्ट में राशि के बीच आंकड़ों का अंतर समाधान के अधीन है।

(xix) डी.डी.ओ बैंक खातों में हस्तांतरित धन राशि

राज्य सरकार ने डी.डी.ओ. बैंक खातों में हस्तांतरित धन राशि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान नहीं की है।

4. आकस्मिकता निधिः

आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1971 की स्थापना की, जो कि अभिरक्षा से संबंधित या उससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने, धन के भुगतान और हिमाचल प्रदेश आकस्मिकता निधि से धन की निकासी से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹ 5.00 करोड़ का कोष है। वर्ष के दौरान, आकस्मिकता निधि से कोई लेन-देन नहीं हुआ। 2023-24 के अंत में, कोई भी राशि वसूल किए बिना नहीं रही।

31 मार्च 2024 तक, आकस्मिकत निधि में ₹ 5.00 करोड़ की शेष राशि थी।
प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी 1,2 और 21 में उपलब्ध हैं।

5. लोक लेखेः

(i) राष्ट्रीय पैंशन प्रणाली (एन.पी.एस.):

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 01.04.2023 से पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) को वापस लेने की अधिसूचना जारी की है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 1 जुलाई 2024 तक 1,14,544 कर्मचारियों ने ओ.पी.एस का विकल्प चुना है। और 1,364 कर्मचारी एन.पी.एस. में बने हुए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, मुख्य शीर्ष-2071 लघु शीर्ष 117 के तहत सरकार का अंशदान ₹ 93.73 करोड़ था और एन.पी.एस. के लिए कर्मचारियों का अंशदान ₹ 66.33 करोड़ था। इसमें ए.आई.एस. अधिकारियों के सम्बन्ध में योगदान भी शामिल है। सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत सार्वजनिक खाते में ₹ 159.90 (कर्मचारी हिस्सा ₹ 66.33 करोड़ और सरकार का हिस्सा ₹ 93.57 करोड़) हस्तांतरित किया। प्रमुख शीर्ष 8342-117 (₹ 93.57 करोड़) के तहत प्रदार्शित की गई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में सरकार का योगदान सेवानिवृत कर्मचारी को अंतिम महीने के एन.पी.एस. अंशदान के डी.डी.ओ. द्वारा सीधे भुगतान के कारण मुख्य शीर्ष 2071-01-117 (₹ 93.73 करोड़) के तहत दिखाई गई राशि से भिन्न है।

सार्वजनिक खाते में हस्तांतरित/जमा की गई कुल राशि में से ₹ 16.50 करोड़ 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक खाते में रहे और एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित नहीं किए गए। सरकार का नकद शेष इस राशि से अधिक बताया गया था।

(ii) (क) सब्याज आरक्षित निधियां :

(क)राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.)ः राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के गठन और प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के संदर्भ में (मुख्य शीर्ष- '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि' जो सब्याज अनुभाग के तहत है), केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 360.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 40.00 करोड़ है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ.के तहत निधि में ₹ 401.00 करोड़ (केन्द्रीय अंश ₹ 360.80 करोड़, राज्य अंश ₹ 40.20 करोड़) (वर्ष 2021-22 से संबंधित ₹ 0.20 करोड़ का अतिरिक्त राज्य हिस्सा)] हस्तांतरित किए।

इसके अलावा, केंद्र सरकार से राज्य को एन.डी.आर.एफ. के लिए ₹ 787.25 करोड़,प्राप्त हुए, जिसे 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8235-125 एन.डी.आर.एफ. के तहत निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

मुख्य शीर्ष 2245 में ₹ 1,145.40 करोड़ की राशि के रूप में निर्धारित की गई थी (एस.डी.आर.एफ से ₹ 398.40 करोड़ और एन.डी.आर.एफ से ₹ 747.00 करोड़) और निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2024 को एस.डी.आर.एफ और एन.डी.आर.एफ में समापन शेष क्रमशः ₹ 58.15 करोड़ और ₹ 56.22 करोड़ था।

(ख) ***राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.):*** राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) दिशा निर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत अधिसूचना संख्या फिन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से एस.डी.एम.एफ बनाया है।

केंद्र और राज्य सरकारों को 90:10 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार से ₹ 42.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य का हिस्सा ₹ 4.80 करोड़ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 एस.डी.एम.एफ. के तहत नामित निधि में ₹ 95.20 करोड़ [केंद्रीय हिस्सा: ₹ 85.60 करोड़ (2022-23: ₹ 42.80 करोड़ और 2023-24: ₹ 42.80 करोड़) और राज्य का हिस्सा ₹ 9.60 करोड़ (2022-23: ₹ 4.80 करोड़ और 2023-24: ₹ 4.80 करोड़)] हस्तांतरित किया।

₹ 93.78 करोड़ की राशि को मुख्य शीर्ष 2245 में समायोजित किया गया था क्योंकि व्यय निधि से पूरा किया गया था और निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई था। 31 मार्च 2024 को निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 43.46 करोड़ थी।

(ग) **राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधिः** भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों के लिए राज्य सरकारों को राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि को लोक लेखा में सब्याज अनुभाग के तहत स्थापित करना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान,राज्य सरकार को प्रयोक्ता एजेंसियों से कोई राशि (2022-23 में ₹ 0.01 करोड़) प्राप्त नहीं हुई है। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹ 308.30 करोड़ (2022-23 में कोई राशि नहीं) प्राप्त हुई।

सरकार ने निधि से ₹ 61.55 करोड़ का व्यय किया और वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-129-एस.सी.ए.एफ. के तहत नामित निधि को वर्ष 2023-24 के लिए देय ₹ 54.03 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

31 मार्च, 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष में शेष राशि ₹ 1,867.46 करोड़ थी।

(ख) **ब्याज रहित आरक्षित निधियां:**

(क) **समेकित निक्षेप निधिः** बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा बकाया देनदारियों के प्रत्युत्सर्जन के लिए एक समेकित निक्षेप निधि बनानी अपेक्षित थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा प्रशासित करना था। आर.बी.आई. के 2006 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को गत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया देनदारियों के 0.5 *प्रतिशत* के बराबर न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया है।

(ख) **गारंटी मोचन निधिः** बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों से उत्पन्न प्रासंगिक दायित्वों के निर्वहन हेतु गारंटी मोचन निधि स्थापित करनी अपेक्षित थी, तथा पिछले वर्ष के बकाया गारंटियों के निर्धारित दर से न्यूनतम वार्षिक अंशदान देना अपेक्षित था। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि को अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

(iii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.):

भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31-03-2018 के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) कर दिया गया है। सी.आर.आई.एफ. का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव, रेलवे परियोजनाओं, रेलवे में सुरक्षा में सुधार, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखाांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को शुरु में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के माध्यम से सार्वजनिक लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8449-103- केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में स्थानांतरित किया जाना है। राज्य सरकार ने अभी तक सार्वजनिक खाते में सी.आर.आई.एफ. सृजित नहीं किया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को सी.आर.आई.एफ.के लिए ₹ 136.32 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने लोक लेखे में निधि में ₹ 136.32 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक निधि को सृजित नहीं किया गया है। हालाँकि, वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय मद से सी.आर.आई.एफ.पर ₹ 148.04 करोड़ खर्च किए।

(iv) उचंत और प्रेषण शेषः

वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा, ₹ 21.58 करोड़ की राशि उचंत से हटा दी गई थी और वाउचर/चालान/मंजूरी पत्र आदि जैस दस्तावेजों की कमी के लिए ₹ 5.73 करोड़ उचंत के तहत बकाया रह गए थे [मुख्य शीर्ष 8658, लघु शीर्ष 110-रिजर्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय]। सरकार का कुल व्यय उस सीमा तक कम बताया गया है।

इसके अलावा, पिछले वर्षों के आपत्ति पुस्तिका में उचंत की ₹ 40.07 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 34.94 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 5.13 करोड़) की राशि को हटा दिया गया है । इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधानों के विरूद्ध वित्त लेखों में राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय और विनियोग लेखों में वास्तविक व्यय उस सीमा तक बढ़ाकर बताया गया है।

वित् लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षो के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया राशि, विभिन्न शीर्षो के तहत अलग-अलग बकाया नामे और जमा शेष को मिलाकर, 31 मार्च 2024 को उचंत और प्रेषण शीर्षो के तहत ₹ 885.53 करोड़ (जमा) थी [31 मार्च 2023 को ₹ 718.90 करोड़ (जमा)]।

इन शीर्षो के अंतर्गत बकाया राशियों का समाधान न होने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षो (जिन्हें वर्ष-दर-वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के तहत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेष की सटीकता प्रभावित होती है।

(v) चेक, बिल और डिजिटल भुगतानः

हिमाचल प्रदेश में मुख्य शीर्ष 8670-चेक और बिल चालू नहीं है, क्योंकि सभी भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाते हैं। डिजिटल भुगतान के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान आदेशों को पूरा होने पर व्यय के रूप में माना जाता है। हालाँकि, 'ई-कुबेर विफल' लेनदेन के रूप में संदर्भित विफलता के मामलें में, लेनदेन का उपचार 8658 में उचंत के रूप में दर्ज किया गया है। वर्ष 2023-24 में, ई-कुबेर से लेनदेन विफल होने से उचंत ₹ 22.67 करोड़ (डेबिट) की राशि का हिसाब लगाया गया था।

(vi) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकरः

भारत सरकार ने श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकार ने मुख्य शीर्ष 8443 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 48.36 करोड़ (2022-23ः ₹ 44.01 करोड़) एकत्र किए और भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को ₹ 42.76 करोड़ (2022-23ः ₹ 42.26 करोड़) हस्तांतरित किए। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को मुख्य शीर्ष 8443 से अहस्तांतरित राशि ₹ 32.27 करोड़ थी (31 मार्च 2023 को ₹ 26.67 करोड़)। चूंकि यह पास थ्रू लेनदेन है, इसलिए सरकार का नकद शेष इस राशि से अधिक बताया गया था।

(vii) राज्य द्वारा लगाए गए अन्य उपकर

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 182.40 करोड़ (दूध उपकरः ₹ 144.84 करोड़, करों पर उपकरः ₹ 37.42 करोड़, कोविड उपकरः ₹ 0.12 करोड़, भूमि पर उपकरः ₹ 0.02 करोड़) (2022-23 ः ₹ 68.47 करोड़) श्रम उपकर के अलावा की राशि के विभिन्न उपकर एकत्र किए।

इन उपकरों के अधिनियमों/अधिसूचनाओ में राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत निधि के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(viii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी) को प्रेषणः

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी) की स्थापना अगस्त 2015 में खान और खनिज (विकास और विनियमन)-एम.एम.डी. आर अधिनियम, 1957 की धारा 9 सी (1)(2015 में संशोधन के माध्यम से शामिल) के तहत की गई थी। अधिनियम की धारा 9 सी (4) में कहा गया है कि खनन पट्टा या खनिज रियायत धारक ट्रस्ट को दूसरी अनुसूची के संदर्भ में भुगतान की गई रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान ऐसे तरीके से करेगा जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

एन.एम.ई.टी नियम, 2015 के नियम 7(6) में कहा गया है कि एकत्रित राशि को ट्रस्ट फण्ड में जमा करने और केंद्र सरकार के साथ साझा किए जाने वाले आवश्यक खातों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, नियमा 7(7) में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9 सी की उपधारा (4) के तहत भुगतान की गई राशि और रॉयल्टी भुगतान के संबंध में मासिक आधार पर भारतीय खान ब्यूरो को जानकारी प्रदान करेगी।

लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, रॉयल्टी की प्राप्ति पर राज्य सरकार पूरी रसीद को मुख्य शीर्ष 0853-102- खनिज रियायतें, शुल्क और रॉयल्टी के तहत वर्गीकृत करती है। इसके बाद, आवश्यक राशि मुख्य शीर्ष 8449-123-एन.एम.ई.टी के तहत राज्य के सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद अभिवृद्धि को समय-समय पर भारत के सार्वजनिक खाते के तहत एन.एम.ई.टी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एन.एम.ई.टी फंड भारत के सार्वजनिक खाते के तहत बनाया गया गैर-व्यपगत और गैर-ब्याज वाला फंड है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार को खनन धारकों से सीधे सार्वजनिक खाता 8449-00-123 के तहत एन.एम.ई.टी योगदान के रूप में ₹ 2.31 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को ₹ 2.09 करोड़ हस्तांतरित किए।

मुख्य शीर्ष 8449-123 के तहत राशि में से, सरकार ने एन.एम.ई.टी (केंद्र को) को ₹ 0.36 करोड़ (ओ.बी. ₹ 0.14 करोड़) कम हस्तांतरित किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार का नकद शेष अधिक बताया गया।

(ix) प्रतिकूल शेषः

प्रतिकूल संतुलन एक ऐसी स्थिति है, जब वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि को बंद करने वाले खाते के प्रमुख में ऋण शेष, डेबिट/(-)क्रेडिट शेष देयता शीर्ष या शीर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सामान्य रूप से क्रेडिट शेष होना चाहिए, और क्रेडिट/(-) डेबिट शेष परिसंपत्ति शीर्षों या शीर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सामान्यतः डेबिट शेष होना चाहिए। खाते के शीर्ष में प्रतिकूल शेष गलत वर्गीकरण, धन की उपलब्धता से अधिक संवितरण, प्राप्त योगदान से अधिक संवितरण, एक लेखा इकाई से दूसरे में शेष राशि को आगे न ले जाने, प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण राज्यों के निर्माण/अधिक लेखांकन इकाइयाँ, आदि के कारण उत्पन्न् होता है। 2023-24 में कोई नया प्रतिकूल संतुलन नहीं जोड़ा गया। 31.03.2024 को प्रतिकूल संतुलन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक मुख्य शीर्ष में दिखाई देता हैः

मुख्य शीर्ष	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
7610-203	सरकारी कर्मचारियों को ऋण (अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम)	0.03
7610-800	सरकारी कर्मचारियों को ऋण (अन्य अग्रिम)	0.17

(x) रोकड़ शेषः

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 को रोकड़ शेष ₹ 42.44 करोड़ (नामे) था और आर.बी.आई. द्वारा सूचित की गई ₹ 33.38 करोड़ (जमा) था। ₹ 9.06 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था, जिसका मुख्य कारण कोषागारों/आर.बी.आई./एजेंसी बैंक और महालेखाकार कार्यालय के बीच लंबित मिलान था। अंतर मिलान के अधीन है। पिछले वर्ष यानि 31 मार्च 2023 को स्थिति ₹ 0.02 करोड़ थी।

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरणी संख्या 21 में उपलब्ध हैं।

6. प्राप्ति,व्यय और नकदशेष पर प्रभावः

जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, राज्यों के वित्त पर गलत वर्गीकरण/वैधानिक प्रावधान का अनुपालन न करने का राजस्व प्राप्ति,व्यय और नकदी शेष पर प्रभाव नीचे सारणी बद्ध हैः

पैरा संख्या	मद	राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव		राजस्व व्यय पर प्रभाव		पूंजीगत व्यय पर प्रभाव		नकदी शेष पर प्रभाव	
		आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी	आधिक्य	कमी
3(viii)	सब्याज आरक्षित निधि/जमा पर ब्याज का भुगतान न होना	--	--	--	22.26	--	--	--	--
5(i)	मुख्य शीर्ष 8342-117 के तहत संचित राशि का स्थानांतरण न होना	--	--	--	--	--	--	16.50	--
5(iv)	उचंत और प्रेषण शेष	--	--	34.94	--	5.13	--	--	--
5(vi)	श्रम उपकर का कम हस्तांतरण होना	--	--	--	--	--	--	32.27	--
5(viii)	एन.एम.ई.टी में हस्तांतरण कम होना	--	--	--	--	--	--	0.36	--
कुल (निवल) प्रभाव	**आधिक्य/कमी**	--	--	**34.94**	**22.26**	**5.13**	--	**49.13**	--

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/himachal-pradesh/hi